



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938

No. 397]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

सं. 28-15/2016-एवाई (एम.एस.आर.)- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) विनियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारत सरकार की पूर्व सहमति से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की आवश्यकताओं का नियमन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:-

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र अधिसूचना में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:-

- (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;-
- (क) 'अधिनियम' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 अभिप्रेत है।
- (ख) 'कॉलेज' से स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालय या संस्थान अभिप्रेत है।

- (ग) 'संलग्न अस्पताल' से आयुर्वेद महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण आयुर्वेद अस्पताल अभिप्रेत है।
 (घ) 'केन्द्रीय परिषद्' से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अभिप्रेत है।

(2) यहां पर प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो यहाँ परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का अभिप्राय अधिनियम में उनके लिए दिए गए अर्थ से होगा।

3. अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं:-

- (1) (क) अधिनियम की धारा 13क के अधीन स्थापित आयुर्वेद कॉलेज एवं धारा 13ग के अधीन वर्तमान कॉलेज एवं उनसे संलग्न अस्पताल, विनियम 4 से 11 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे एवं शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम मानक की आवश्यकताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर, 2014 तक पूरा करेंगे;
 (ख) अनुमति की समाप्ति से 3 माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् अपनी ओर से महाविद्यालय का परिदर्शन करेगी;
 (ग) केन्द्रीय परिषद् द्वारा समय समय पर जारी परिदर्शको हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों को केन्द्रीय परिषद् द्वारा इनकी वेब साइट पर परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा ऑन लाइन भरना होगा तथा परिदर्शको को क्रमशः इसकी हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी;
 (घ) परिदर्शन के दौरान परिदर्शक द्वारा स्टॉफ तथा आधारभूत संरचना की विडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी तैयार की जाएगी तथा इसे विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण के साथ केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करना होगा;
 (ङ.) परिदर्शक द्वारा केन्द्रीय परिषद् को विस्तृत प्रतिवेदन तथा प्रेक्षण ऑन लाइन प्रस्तुत करने के पश्चात्, केन्द्रीय परिषद् परिदर्शकों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से एक माह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन सहित अपनी संस्तुति भेजेगी;
 (च) केन्द्रीय परिषद् प्रमाणित करेगी कि महाविद्यालय में विद्यमान शिक्षण संकाय किसी अन्य स्थान पर कार्यरत नहीं है;
 (छ) विनियम 7 के उपविनियम (2) को छोड़कर इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु परिदर्शन की तिथि को अभिभावी स्थिति पर महाविद्यालय को सशर्त अनुमति अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

(2) पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमति हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं-

- (क) महाविद्यालय द्वारा इन विनियमों के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश लेने हेतु अनुमति दी जाएगी। किसी शिकायत के प्राप्त होने पर; अथवा ऑन लाइन बायो मेट्रिक उपस्थिति से यह पाए जाने पर कि शिक्षण, गैरशिक्षण स्टॉफ, अस्पताल का स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित नहीं है, अथवा अस्पताल उचित रूप से क्रियाशील नहीं है, ऐसा पाये जाने पर केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपेक्षित यथा अपेक्षित उक्त अवधि के भीतर महाविद्यालय का यादृच्छिक निरीक्षण किया जाएगा;
 (ख) उक्त अवधि के भीतर किसी कमी के पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा इसे 150 दिनों के भीतर केन्द्रीय परिषद् को सूचित करते हुए पूरा किया जाएगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया गया समझा जाएगा;
 (ग) शैक्षिक सत्र 2014-15 से 2018-19 तथा 2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्राप्त महाविद्यालयों को विनियम 4 से 11 के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। अन्यथा पांच वर्षों की अवधि हेतु अनुमति को वापस लिया समझा जाएगा।

(3) एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं (क) किसी विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति मात्र उन महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी जो कि आगामी शैक्षिक सत्र हेतु 31 दिसम्बर से 31 मार्च के बीच केन्द्रीय परिषद् द्वारा निरीक्षण के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं;

- (i) अनुसूची-V में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता;
 (ii) विनियम VII के उप विनियम (2) के अतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण अस्पताल की आवश्यकता;
 (iii) अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उपकरणों की आवश्यकता की न्यूनतम पिचहत्तर प्रतिशत की उपलब्धता;
 (iv) अनुसूची-III में यथा विनिर्दिष्ट ओषधीय उद्यान की उपलब्धता;
 (v) अनुसूची-IV में यथा विनिर्दिष्ट अस्पताल के स्टॉफ की उपलब्धता;
 (vi) अनुसूची-VI में यथा विनिर्दिष्ट तकनीकी एवं अन्य स्टॉफ की उपलब्धता;
 (vii) विनियम 9 के उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय परिषद् की उपलब्धता;
 (viii) विनियम 9 के उप विनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय की वेब साइट की उपलब्धता;
 (ix) विनियम 9 के उप विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट बायो मेट्रिक उपस्थिति की उपलब्धता; एवं
 (x) विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता।

(ख) महाविद्यालयों, जिन्हें सशर्त अनुमति प्रदान की गई है अथवा जिन्हें शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु अनुमति के लिए मना कर दिया गया है, उन्हें विनियम 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट विशिष्ट शैक्षिक सत्र अथवा पांच वर्षों की अवधि हेतु एक वर्ष की सशर्त अनुमति प्राप्त करने के लिए उक्त खंड (क) में यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

4. भूमि की आवश्यकता:-

- (1) इन विनियमों के अधीन 60 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले मेडीकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल एवं अन्य आधारिक संरचना के लिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र कम से कम तीन एकड़ के एक प्लॉट पर उपलब्ध हो।
- (2) 61 से 100 सीटों की प्रवेश की क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम नहीं हो और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं हो और प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।
- (3) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात(एफ.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स(एफ.एस.आई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।
- (4) केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-II के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में समाहित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।
- (5) भूमि कॉलेज के स्वामित्व में होनी चाहिए या कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष से अन्यून या संबन्धित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति का नवीकरण तथापि पट्टे की समाप्ति पर होगा।
- (6) 7 नवम्बर, 2003 से पूर्व स्थापित कॉलेजों के लिए भूमि के आकार तथा स्वामित्व की आवश्यकता लागू नहीं होगी। परन्तु पट्टे की समाप्ति पर, इन महाविद्यालयों को या तो भूमि को अपने स्वामित्व में लेना होगा अथवा कॉलेज के नाम पर 99 वर्ष या संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता:-

- (1) साठ छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु प्रत्येक कॉलेज एवं अस्पताल का निर्मित क्षेत्र दो हजार वर्ग मीटर होना चाहिए।
- (2) 61 से 100 छात्रों तक की भर्ती की क्षमता हेतु चार हजार और तीन हजार एवं पांच सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र क्रमशः महाविद्यालय एवं अस्पताल के लिए होगा।
- (3) अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण अलग-अलग भवनों में किया जाना चाहिए। तथा कॉलेज एवं अस्पताल के अलग अलग भवनों की आवश्यकता मात्र दिनांक 18.07.2012 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों पर लागू होगी।
- (4) कॉलेज को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक आधारिक संरचनाएं जैसे कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, नागरिक एवं बिजली की सेवाएं और कार्यशाला, कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के अन्दर पर्याप्त गाड़ी-स्थान के रख रखाव का भी पालन करना होगा।
- (5) वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची-III में विहित अनुसार होना चाहिए।

6. प्रवेश क्षमता:- महाविद्यालय की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 एवं 100 के स्लैब में होगी। 60 से कम या 61 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालय को अनुसूची-I से अनुसूची-VII तक में वर्णित क्रमशः 60 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. शिक्षण अस्पताल की आवश्यकताएं:-

- (1) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल स्थापित करने ओर संचालित करने हेतु सम्बन्धित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या निकासी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार ऐसे आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति या निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।

(2) **शय्याओं की आवश्यकता, शय्या अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति:-** छात्रों का अनुपात शय्याओं की संख्या के साथ, अंतः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति क्रमशः 1:1, 40 प्रतिशत एवं 1:2 जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़(1½) मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका

वार्षिक प्रवेश क्षमता	अन्तरंग रूग्ण विभाग में न्यूनतम छात्र-शय्या अनुपात 1:1 पर	प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (40 प्रतिशत शय्या अधिभोग) पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (365 दिन) में अन्तरंग रोगी विभाग में	पिछले एक वार्षिक कलैण्डर (300 दिन) में बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (1:2 विद्यार्थी-रोगी अनुपात)
60 छात्रों तक	60 शय्या	24	120
61 से 100 छात्र	100 शय्या	40	200

शय्या अधिभोग की संख्या की गणना करने हेतु महाविद्यालय प्रत्येक रोगी के भर्ती होने तथा उनके निर्वर्तन की तिथि एवं समय का लेखा जोखा रखेगा। मध्यरात्री में रोगी द्वारा शय्या अधिभोग की गणना एक शय्या दिवस अधिभोग के रूप में की जाएगी। तथा यदि किसी रोगी का निर्वर्तन मध्यरात्री से पूर्व होता है तो उसे 0.5 शय्या दिवस अधिभोग के रूप में गिना जाएगा। शय्या अधिभोग की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

$$\text{शय्या दिवस अधिभोग} \times 100 \text{ की संख्या}$$

$$\text{शय्याओं की संख्या} \times \text{दिवसों की संख्या}$$

(3) बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव:-

- (i) कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग के रूग्ण सम्बन्धित दस्तावेज, प्रयोगशाला और रेडियोलोजीकल जांच प्रतिवेदन, औषधि वितरण पंजिका, आहार पंजिका अन्तरंग विभाग के रूग्णों के लिए अस्पताल कर्मचारीवृन्द का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु, कॉलेज एवं अस्पताल बाह्य रूग्ण विभाग एवं अन्तरंग रूग्ण विभाग के रोगियों का अभिलेख कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। कॉलेज, विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख विनियम 7 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित प्रतिमानों को पूर्ण करने हेतु एवं अस्पताल की कार्यशीलता की यथार्थता हेतु करेगा तथा कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित होगी। उन महाविद्यालयों को जिन्हे शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, उन्हें दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली का रख रखाव करना होगा।
- (4) **स्थान आवश्यकता:-** पूर्ण रूप से संचालित अस्पताल में बहिरंग/अन्तरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त स्वागत, रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, औषधि कक्ष, मरहम पट्टी कक्ष, क्लीनिकल प्रयोगशाला, रेडियोलोजी अनुभाग, अस्पताल साईड फार्मसी, रसोई, सेवाकक्ष, चिकित्सा अभिलेख कक्ष, पंचकर्म थैरेपी अनुभाग, क्षारसूत्र थैरेपी अनुभाग, शल्य कक्ष, प्रसव कक्ष, भण्डार गृह, स्त्री एवं पुरुष अलग-2 वार्ड, चिकित्सकों हेतु, नर्सों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष होने चाहिए। संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र की सुनिश्चितता अनुसूची-I के अनुसार होगी।

(5) बाह्य रोगी विभाग:- अस्पताल में कम से कम निम्न 8 बाह्य रोगी विभाग होंगे:-

- (i) कायचिकित्सा
- (ii) पंचकर्म
- (iii) शल्य तंत्र
- (iv) शालाक्य तंत्र (दो कमरे बहिरंग रूग्णों के लिए)
 - (क) नेत्र रोग विभाग
 - (ख) कर्ण-नासा-मुख एवं दंत रोग विभाग
- (v) प्रसूति एवं स्त्रीरोग
- (vi) कौमारभृत्य(बालरोग)
- (vii) स्वस्थवृत्त एवं योग
- (viii) अत्यायिक (आपातकाल)

(6) अन्तरंग रूपण विभाग:- अस्पताल के अन्तरंग रूपण विभाग में पुरुष एवं स्त्री वार्ड अलग होंगे और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगा:-

अन्तरंग विभाग	वितरण	60 शय्या	100 शय्या
काय चिकित्सा (पंचकर्म, रसायन एवं मानस रोग आदि)	50% शय्या	30	50
शल्य तंत्र एवं शालाक्य तंत्र	25% शय्या	15	25
प्रसूति एवं स्त्रीरोग तथा कौमारभृत्य	25% शय्या	15	25

(7) रोग निदान एवं प्रयोगशालीय परीक्षण प्रयोगशाला (क्लिनिकल रोग निदान एवं जांच हेतु नैदानिक प्रयोगशाला): अस्पताल के बाह्यरोगी एवं अंतःरोगी विभाग से निर्दिष्ट किये गये रोगियों पर नैत्यक, रोगात्मक, जैव रासायनिक तथा रक्त संबंधी जांच एवं आयुर्वेदिक नैदानिक तकनीकों को कार्यान्वित करने हेतु अस्पताल में अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-IV, अनुसूची-V, अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट उचित आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी।

(8) अस्पताल के कर्मचारी: अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टाफ की आवश्यकता अनुसूची-IV के अनुसार होगी।

8. कालेज की आवश्यकताएं:-

- (1) (क) शिक्षण स्टाफ: अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्लैब हेतु दस अंश कालिक अतिरिक्त शिक्षकों (माडर्न मेडीसिन के आठ शिक्षक, योग का एक शिक्षक तथा जैव सांख्यिकीय का एक शिक्षक) के साथ 60 छात्रों के प्रवेश हेतु नियमित आधार पर नियुक्त न्यूनतम 30 पूर्णकालिक शिक्षक तथा 61 से 100 तक की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम नियमित 45 पूर्णकालिक शिक्षक होंगे। वे शिक्षक जो शिक्षण के पद अथवा विषय के शिक्षक से संबंधित पात्रता के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु: शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश के अनुसार होगी। शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवा निवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनःनियुक्त किया जा सकता है।
- (ग) प्रत्येक शिक्षक का विवरण जैसे शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगी।
- (घ) समस्त शिक्षकों की सूची पूर्ण विवरण सहित जैसे केन्द्रीय परिषद् द्वारा आवंटित कोड, शैक्षिक अर्हता, पूर्व संस्था तथा वर्तमान संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।
- (2) तकनीकी एवं अन्य स्टाफ की आवश्यकता: महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य स्टाफ अनुसूची-VI में दिये गये विवरणानुसार होगा।

9. विविध आवश्यकताएं:-

(1) कॉलेज परिषद्:

- (क) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा संस्था में एक कॉलेज परिषद् होगी जिसमें विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट हो।
- (ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार कॉलेज परिषद् की बैठक की जायेगी।
- (ग) कॉलेज परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ-साथ अन्तरविभागीय बैठकें जैसे मुख्य दौरे, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठकें भी आयोजित की जायेंगी।

(2) कॉलेज की वेबसाइट: प्रत्येक कॉलेज अथवा संस्थान की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

- (क) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्राधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तारीख, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फेक्स तथा ई-मेल इत्यादि हों।
- (ख) फोटोग्राफ, पंजीकरण संख्या, जन्मतिथि, अर्हता, अनुभव विभाग इत्यादि के साथ शिक्षण स्टाफ का विवरण।
- (ग) उनके अपने विभाग सहित कॉलेज के गैर शिक्षण स्टाफ तथा चिकित्सालय स्टाफ का विवरण।
- (घ) स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रवेश क्षमता का विवरण।
- (ङ) चालू एवं गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता के आधार पर एवं श्रेणी के आधार पर सूची।
- (च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।

- (छ) संस्था द्वारा आयोजित सतत किसी चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा/अथवा किसी शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।
- (ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।
- (झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।
- (ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।
- (ट) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्यौरेवार स्थिति।
- (ठ) चिकित्सालय में नैदानिक सामग्री का विवरण।
- (ड) महाविद्यालय की वेबसाइट केन्द्रीय परिषद् की वेबसाइट से लिंक होगी, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट से भी लिंक किया जाएगा।
- (ढ) महाविद्यालय के शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ, अस्पताल के स्टाफ, छात्रों तथा बाह्य रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति का माह के अनुसार विश्लेषण महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (3) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति:** (i) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ii) सशर्त अनुमति हेतु बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक होगी।
- (iii) महाविद्यालय जिन्हें शैक्षिक सत्र 2014-15 तथा 2015-16 से पांच वर्षों से अनाधिक अवधि हेतु अनुमति प्रदान की गई थी, वे दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 से वेब आधारित तथा सी.आर.सी. से लिंक बॉयोमेट्रिक उपस्थिति का अनुरक्षण करेंगे।
10. **नए कॉलेज की चरण वार विशिष्ट आवश्यकताएं -**
- (1) अधिनियम की धारा 13 क के प्रावधान के अन्तर्गत आयुर्वेदाचार्य (बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले आयुर्वेद कॉलेज को आधारभूत संरचना तथा जनशक्ति को निम्नवत् स्थापित करना होगा:
- (क) **कॉलेज छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित को रखेगा-**
- (i) आवेदन प्रस्तुत करते समय, कॉलेज के पास शय्याओं की उचित संख्या तथा विनियम 7 के उपविनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाले आवेदन की तिथि से दो वर्ष से पूर्व कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ विनियम 4 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कार्याचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य में से प्रत्येक का कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक। तथा महाविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने से दो वर्ष पूर्व अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की तिथि से, जो भी कम हो, विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक चिकित्सक का अनुभव शिक्षक के रूप में माना जाएगा।
- (iv) दो हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 4 हजार वर्ग मीटर की भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान क्रमशः 60 सीटों तक के लिए तथा 61 से 100 सीटों के लिए जिसमें कम से कम एक सौ प्रजातियों की औषधियों के पौधे लगे हों।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टाफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा; तथा
- (viii) शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बॉयोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।
- (ख) **छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-**
- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कार्याचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टाफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।

- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टॉफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(ग) छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-

- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति की जाएगी। प्राध्यापक के अभाव में प्रवाचक की नियुक्ति समान संख्या में होनी चाहिए।
- (iii) महाविद्यालय चिकित्सालय के प्रचालन हेतु कार्याचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य, शालाक्य, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक।
- (iv) पांच हजार पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टॉफ हो।
- (v) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होंगे।
- (vi) न्यूनतम एक सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे तथा औषधि उद्यान में एक वनस्पति-संग्रहालय व प्रदर्शन हॉल।
- (vii) अस्पताल का समस्त स्टॉफ अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा;
- (viii) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग से जुड़ी अनुसूची ii में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र की एक शिक्षण औषधशाला (रसायनशाला) तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार औषधी तैयार करने हेतु अनुसूची-VII के अनुसार उपकरण होंगे।
- (ix) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(घ) छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व कॉलेज निम्नलिखित को रखेगा-

- (i) विनियम 7 के उपविनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति रखने वाला कार्यात्मक आयुर्वेद चिकित्सालय होना चाहिए।
- (ii) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यवसायिक वर्ष हेतु आवश्यक विनियम 8 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित समस्त शिक्षकों तथा अनुसूची 6 में यथा विनिर्दिष्ट गैर शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति की जाएगी।
- (iii) इन विनियमों 4 से 11 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार महाविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य इकाईयों की समस्त आधारभूत संरचना एवं जनशक्ति की आवश्यकताएं;
- (iv) सात हजार पांच सौ पुस्तकों का एक पुस्तकालय जिसमें अनुसूची vi में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रवेशों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 61 से 100 प्रवेशों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तथा स्टॉफ हो।
- (v) अनुसूची iii में यथा विनिर्दिष्ट एक पूर्णतः विकसित औषधी पौधों का बगीचा
- (vi) अनुसूची i से vii में यथा विनिर्दिष्ट पूर्ण क्रियात्मक प्रयोगशालाएं तथा औषध परीक्षण सुविधाओं सहित औषधशाला
- (vii) चिकित्सालय में औषधियों, पराचिकित्सा स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।
- (viii) शिक्षण स्टॉफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(2) (क) किसी नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर उप विनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी।

(ख) यह कॉलेज का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु प्रारम्भिक अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व केन्द्रीय परिषद् में आवेदन करे।

- (ग) अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने की यह प्रक्रिया प्रथम बैच के समापन हेतु नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के पूर्ण होने तक जारी रहेगी।
- (3) नये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 13 क के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा चिकित्सा महाविद्यालय को शिक्षण स्टाफ हेतु वेब आधारित तथा सी.आर.सी. (केन्द्रीय परिषद द्वारा जारी केन्द्रीय पंजीकरण प्रमाणपत्र) से लिंक कम्प्यूटरीकृत बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली तथा गैर शिक्षण कॉलेज के स्टाफ तथा चिकित्सालय के स्टाफ हेतु वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली रखना तथा अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग में रोगियों के अभिलेख के रखरखाव हेतु वेब लिंक कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली रखना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने वर्ष 2015 में आवेदन किया था, उनके लिए आशय पत्र जारी करने हेतु इन आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाएगा परंतु उन्हें शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु अनुमति पत्र जारी किये जाने से पूर्व इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
11. **उपकरण, यंत्र-समूह इत्यादि की सूची-** छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कॉलेज जैसा कि अनुसूची-VII के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, कॉलेज के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शव विच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र-समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत अपने अधिकार में रखेगा।
12. **आयुर्वेद महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि-**
- (1) आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु आयुर्वेद महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- (2) आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षिक सत्र की 30 सितम्बर होगी।

अनुसूची-I

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेद महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	चिकित्सालय के भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	3500
II.	चिकित्सालय प्रशासनिक खण्ड	100	150
1.	अधीक्षक कक्ष		
2.	उप अधीक्षक कक्ष		
3.	चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य अधिकारी हेतु)		
4.	मैट्रन कक्ष		
5.	सहायक मैट्रक कक्ष (दो के लिए)		
6.	स्वागत पटल तथा पंजीकरण		
III.	बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)	300	500
1.	कायचिकित्सा बाह्य रोगी विभाग		
2.	शल्य बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष, वाश बेसिन तथा परीक्षा कक्ष सहित		
3.	शालाक्य तंत्र बाह्य रोगी विभाग		
4.	स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र बाह्य रोगी विभाग प्रसाधन कक्ष तथा परीक्षा कक्ष सहित		
5.	कौमारभृत्य (बाल रोग) बाह्य रोगी विभाग		
6.	स्वस्थवृत्त एवं योग बाह्य रोगी विभाग, प्रदर्शन क्षेत्र सहित		
7.	अत्यायिक(हताहत) विभाग प्रसाधन कक्ष तथा वाश बेसिन सहित		
8.	मरहम पट्टी एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, क्षार सूत्र कक्ष		
9.	औषधालय		
10.	रोगियों के लिए प्रतीक्षा स्थल		
11.	भण्डार		
12.	स्टॉफ तथा रोगियों के लिये अलग-अलग पुरुष एवं महिला प्रसाधन कक्ष		
IV	अन्तरंग रोगी विभाग (आई.पी.डी.)	900	1650

1.	कायचिकित्सा तथा पंचकर्म पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
2.	कायचिकित्सा तथा पंचकर्म महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
3.	शल्य शालाक्य पुरुष वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
4.	शल्य शालाक्य महिला वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
5.	प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं कौमारभृत्य वार्ड संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
6.	प्रत्येक विभाग के लिये एक चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
7.	प्रत्येक वार्ड में एक परिचर्या स्टॉफ ड्यूटी के लिए कक्ष संलग्न प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित		
8.	लीनन इत्यादि के लिये भण्डार गृह		
V.	शल्यकर्म कक्ष खण्ड	150	250
1.	मुख्य, लघु एवं शालाक्य प्रक्रियाओं के लिए शल्यकर्म कक्ष		
2.	प्रसाधन कक्ष एवं स्नानगृह सहित प्रसूति कक्ष		
3.	नवजात शिशु अनुरक्षण कक्ष		
4.	केन्द्रीय जीवाणुनाशन/आटोक्लेव इकाई		
5.	स्क्रब कक्ष		
6.	दो आरोग्य कक्ष		
7.	चिकित्सकों का ड्यूटी कक्ष संलग्न प्रसाधन एवं स्नानगृह सहित		
8.	प्रशिक्षु/गृह अधिकारी/ आवासीय चिकित्सकों का कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
9.	परिचर्या कक्ष संलग्न प्रसाधन तथा स्नानगृह सहित		
VI	पंचकर्म खण्ड	200	350
1.	स्नेहन कक्ष (पुरुष)		
2.	स्नेहन कक्ष (महिला)		
3.	स्वेदन कक्ष (पुरुष)		
4.	स्वेदन कक्ष (महिला)		
5.	शिरोधारा कक्ष (पुरुष)		
6.	शिरोधारा कक्ष (महिला)		
7.	वमन कक्ष (पुरुष)		
8.	वमन कक्ष (महिला)		
9.	विरेचन कक्ष (पुरुष)		
10.	विरेचन कक्ष (महिला)		
11.	बस्ति कक्ष (पुरुष)		
12.	बस्ति कक्ष (महिला)		
13.	रक्त मोक्षण, जलौकावाचरण, अग्निकर्म, प्राच्छान इत्यादि कक्ष		
14.	पंचकर्म चिकित्सक/चिकित्सकों का कक्ष		
15.	पंचकर्म भण्डार गृह		
16.	संलग्न प्रसाधन कक्ष पुरुषों के लिये तथा महिलाओं के लिये जिनमें से प्रत्येक में वाशबेसिन तथा गीजर की सुविधा हों। ये प्रसाधन वार्डों के प्रसाधनों के अतिरिक्त होंगे।		
VII	भौतिक चिकित्सा इकाई:	75	150
1.	भौतिक चिकित्सा कक्ष		
2.	भौतिक चिकित्सक कक्ष		
VIII	नैदानिक प्रयोगशाला: विकृति विज्ञान, जैव रसायन तथा सूक्ष्म जीव-विज्ञान हेतु पृथक विभागों सहित पूर्ण उपकरण युक्त मूत्र नमूने एकत्र करने हेतु यहां संलग्न प्रसाधन होंगे। ई. सी.जी. अथवा टी.एम.टी.इत्यादि के लिये अन्य नैदानिक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।	100	150

IX	विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान अथवा सोनोग्राफी अनुभाग:- विकिरणविज्ञानी कोष्ठ, एक्स-रे कक्ष, डार्क रूम, फिल्म ड्राई कक्ष, भण्डार कक्ष, रोगी प्रतीक्षा एवं प्रसाधन कक्ष, स्वागत-पटल अथवा पंजीकरण अथवा रिपोर्ट कक्ष।	50	100
X	चिकित्सालय का पाकशाला तथा कैन्टीन:	100	150
XI	भण्डार/शवगृह	25	50
	कुल	2,000	3,500

टिप्पणी:

1. उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु संलग्न चिकित्सालय का कुल क्षेत्र विनियम 5 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होगा।
2. इक्सट से सौ छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के एक आयुर्वेद कॉलेज के संलग्न अस्पताल की निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता का विघटन विनियम 5 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार क्षेत्र की कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप बढ़ाया जायेगा।
3. बाह्य रोगी विभाग सहित संलग्न शौचालय की आवश्यकता दिनांक 18 जुलाई, 2012 के पश्चात् स्थापित महाविद्यालयों हेतु लागू है।
4. सशर्त अनुमति हेतु, विनियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार महाविद्यालय के संलग्न अस्पताल का कुल निर्मित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-II

(विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)
आयुर्वेदिक कॉलेज की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	कॉलेज की इमारत का कुल निर्मित क्षेत्र	2,000	4,000
1.	प्रशासनिक अनुभाग:- कॉलेज के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत पटल, मिलने वालों के लिए प्रतीक्षा कक्ष, स्टॉफ समिति कक्ष, लिपिक कक्ष, नगदी एवं लेखा अनुभाग, अभिलेख कक्ष, केन्द्रीय भण्डार एवं पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग प्रसाधन कक्ष।		
2.	व्याख्यान हाल: साठ सीटों तकप्रवेश हेतु न्यूनतम 80 वर्गमीटर के क्षेत्र के एवं इक्सट से सौ सीटों के प्रवेश हेतु 160 वर्गमीटर क्षेत्र के कम से कम पांच व्याख्यान हाल होंगे जिनमें बिजली आपूर्ति, श्रव्य-दृश्य शिक्षण सहायक यंत्र, पंखे/कूलर तथा अधिमानत: थियेटर के प्रकार का आरामदायक रूप से बैठने का प्रबन्ध होगा। प्रत्येक तल पर बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-2 प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।	400	800
3.	विचार गोष्ठी अथवा सम्मेलन अथवा परीक्षा हॉल: बैठकों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, परीक्षा, मंत्रणा इत्यादि के लिए कॉलेज के परिसर में एक वृहत हॉल उपलब्ध होगा जिसमें चार सौ से पांच सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। हॉल में बिजली तथा बैठने का प्रबन्ध तथा दृश्रव्य-दृश्य पद्धति की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।	150	300
4.	केन्द्रीय पुस्तकालय: केन्द्रीय पुस्तकालय में साठ की प्रवेश क्षमता तक कम से कम पचास व्यक्तियों तथा इक्सट से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु अस्सी व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, शेल्फ अथवा अल्मारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक रखने हेतु पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए पृथक वाचनालय, पुस्तकाध्यक्ष का कक्ष, कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं इन्टरनेट की सुविधा सहित फोटोकॉपीअर अथवा विडियो रूम होगा। पुस्तकालय में प्रकाश का उचित प्रबन्ध, पंखे/कूलर, पेय जल का प्रबन्ध तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। छात्रों के प्रथम प्रवेश के समय पुस्तकालय में आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा तथा समवर्गी विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। पुस्तकों की संख्या छात्रों के द्वितीय तथा तृतीय बेंचों के प्रवेश से पूर्व पांच हजार तथा छात्रों के चतुर्थ बेंच के प्रवेश से पूर्व सात हजार पांच सौ तक बढ़ाई जायेंगी। पांच वर्ष अथवा अधिक के लिए	100	200

	विद्यमान महाविद्यालय दस हजार पुस्तकें रखेगा।		
5.	शिक्षण विभाग: चौदह शिक्षण विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक के साथ शिक्षकों के लिए कक्ष, एक छोटा विभागीय पुस्तकालय, एक छोटा कार्यालय, गैर शिक्षण स्टाफ हेतु कार्य स्थान तथा विशिष्ट विभाग की आवश्यकतानुसार एक संग्रहालय अथवा प्रयोगशाला अथवा शवच्छेदन हॉल अथवा शिक्षकीय कक्ष/विभाग के आधार पर क्षेत्र की आवश्यकता निम्नवत् होगी:-	कुल 1200 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:	कुल 2400 वर्गमीटर तथा विघटन निम्नवत् होगा:
(i)	संहिता तथा सिद्धान्त विभाग तथा इसके अतिरिक्त विभागीय पुस्तकालय व शिक्षकीय कक्ष	50	100
(ii)	रचना शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त एक हवादार शवच्छेदन हॉल, पर्याप्त लॉकरों तथा वास-बेसिन सहित छात्रों के लिए एक कक्ष, चार शव हेतु एक भण्डारण टैंक अथवा प्रशीतत (फ्रिजर) सहित शव का संलेपन करने हेतु एक कक्ष तथा वैकल्पिक माइक्रो ऐनॉटमी प्रयोगशाला सहित रचना शारीर संग्रहालय;	125	250
(iii)	क्रिया शारीर विभाग तथा इसके अतिरिक्त जैव रसायन परीक्षण हेतु वैकल्पिक सुविधा सहित क्रिया शारीर (फीजियोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(iv)	द्रव्यगुण विभाग तथा इसके अतिरिक्त वनस्पति-संग्रहालय व द्रव्यगुण संग्रहालय तथा फार्माकोग्नोसी तथा फार्माक्लॉजी प्रयोगशालाएं;	125	250
(v)	रसशास्त्र एवं भेषज्य कल्पना विभाग तथा इसके अतिरिक्त रसशास्त्र प्रयोगशाला एवं संग्रहालय; औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला भी शिक्षण हेतु प्रयोग की जायेगी;	75	150
(vi)	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग तथा इसके अतिरिक्त विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी) प्रयोगशाला;	75	150
(vii)	या तो कॉलेज में अथवा अस्पताल में स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग तथा इसके अतिरिक्त योग हॉल;	75	150
(viii)	अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय;	50	100
(ix)	कायचिकित्सा विभाग;	75	150
(x)	पंचकर्म विभाग;	37	75
(xi)	शल्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष तथा प्रयोगात्मक सर्जरी (योग्या) प्रयोगशाला;	75	150
(xii)	शालाक्य विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष;	75	150
(xiii)	प्रसूति एवं स्त्रीरोग विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष; तथा	50	100
(xiv)	कौमारभृत्य (बालरोग) विभाग तथा इसके अतिरिक्त संग्रहालय व शिक्षकीय कक्ष; * टिप्पणी- सभी प्रयोगशालाओं की कार्य करने की मेजें कठोर पत्थर अथवा स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिये तथा शेल्फ तथा वाशबेसिन में ताजे पानी के नल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।	38	75
6.	शिक्षण औषधशाला तथा औषधि गुणवत्ता-परीक्षण प्रयोगशाला: कॉलेज में विभिन्न प्रकार की आयुर्वेद की औषधियां जैसे चूर्ण, वटी, गुग्गुलु, आसव अरिष्ट, स्नेह कल्प, क्षार तथा लवण, लौह, अवलेह, कूपिपक्व रसायन इत्यादि तैयार करने हेतु उचित प्रशिक्षण सुविधाओं सहित एक शिक्षण औषधशाला, एक कच्ची-औषध का भण्डारगृह तथा इनहाउस - औषध एकीकरण होगा। औषधशाला की औषध परीक्षण प्रयोगशाला का प्रयोग शिक्षण हेतु भी किया जाएगा।	100	200
7.	सामान्य कक्ष: बैठने के पर्याप्त स्थान एवं प्रबन्ध सहित बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक पृथक कक्ष उपलब्ध होंगे।	50	100
8.	कैन्टीन: कॉलेज परिसर में लगभग सौ व्यक्तियों के बैठने के प्रबन्ध सहित कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी।	50	100

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट विभिन्न घटकों के बीच प्रविभाजित क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद कॉलेज का कुल क्षेत्र विनियम 5 पर उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, महाविद्यालय का कुल निर्मित क्षेत्र विनियम 5 में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-III

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

एक आयुर्वेदिक कॉलेज की समवर्गी आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं

क्रम सं.	विवरण	(वर्ग मीटर में)	
		60 छात्रों तक	61 से 100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वनौषधि उद्यान: 250 प्रजातियों के वनौषधि पौधों तथा पच्चीस से पचास वर्गमीटर क्षेत्र का एक प्रदर्शन कक्ष सहित भलीभाँति विकसित एक औषधीय पौधों का बगीचा कॉलेज में विद्यमान होगा।	2500	4000

टिप्पणी:

- उक्त निर्दिष्ट क्षेत्र $\pm 20\%$ में भिन्न हो सकता है परन्तु एक आयुर्वेद महाविद्यालय का कुल क्षेत्र विनियम 4 पर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए।
- सशर्त अनुमति हेतु, औषधीय पौधों की न्यूनतम 150 प्रजातियां आवश्यक होंगी।

अनुसूची-IV

(विनियम 3, विनियम 5, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज चिकित्सालय के स्टाफ की आवश्यकताएं

क्रम संख्या	पद	पात्रता
(1)	(2)	(3)
1.	चिकित्सा अधीक्षक	1. चिकित्सा अधीक्षक के पद हेतु पदधारी की अर्हता प्राध्यापक से कम नहीं होगी। अथवा 2. प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता पदेन चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, यदि वहाँ चिकित्सा अधीक्षक का पद है तो वहाँ जारी रहेगा।
2.	उप चिकित्सा अधीक्षक	1. अर्हता बी.ए.एम.एस. तथा नैदानिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा दस वर्षों के नैदानिक अनुभव सहित बी.ए.एम.एस. होगी। 2. शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त पूर्ण कालिक नियमित पदधारी।
3.	परामर्शदाता	1. नैदानिक विभाग, जिनमें स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग सम्मिलित हों, के शिक्षक
4.	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	दो
5.	आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ या आर.एस.ओ या एम.ओ.)	05 (01 कायचिकित्सा, 02 प्रसूति एवं स्त्रीरोग तथा 01 शल्यतंत्र तथा 01 कौमारभृत्य में)
6.	मैट्रन या परिचारिका अधीक्षक	एक
7.	अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ परिचारिकाएं	प्रति 10 शैय्याओं के लिए एक
8.	वार्ड अनुकर्मि अथवा आया	प्रति 20 शैय्याओं के लिए एक
9.	भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट)	दो
10.	ड्रेसर	दो
11.	भण्डारपाल	एक
12.	कार्यालय स्टाफ (पंजीयन, अभिलेख अनुरक्षण, डाटा एन्ट्री इत्यादि)	छो
13.	डार्क रूम परिचारक	एक

आधुनिक चिकित्सा स्टाॅफ		
14.	चिकित्सा विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
15.	शल्य विशेषज्ञ	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
16.	प्रसूति तथा स्त्रीरोग विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
17.	विकृतिविज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
18.	संज्ञाहरण विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
19.	नेत्र विज्ञानी	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
20.	बाल (रोग) चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
21.	विकिरणविज्ञानी	एक (संविदा पर एलोपैथिक विकिरण विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा आयुर्वेदिक विद्या-विशेष का विकिरण विज्ञान) शल्य शिक्षण विभाग से।
22.	दंत चिकित्सा	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
23.	एक्स-रे तकनीशियन अथवा विकिरण चित्रक	एक
24.	भौतिक चिकित्सक	एक अंशकालिक अथवा संविदा पर
बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग हेतु पंचकर्म चिकित्सा विज्ञान अनुभाग के लिए स्टाॅफ		
25.	पंचकर्म विशेषज्ञ	पंचकर्म शिक्षण विभाग के शिक्षक
26.	गृह अधिकारी अथवा नैदानिक रजिस्ट्रार अथवा वरिष्ठ आवासीय चिकित्सक (आयुर्वेदिक)	एक
27.	पंचकर्म परिचारिका	एक (क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)
28.	पंचकर्म सहायक	दो पुरुष तथा दो महिला
29.	योग शिक्षक अथवा विशेषज्ञ	एक (स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग से)
शल्यकर्म कक्ष एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान अनुभाग का स्टाॅफ		
30.	शल्य एवं क्षारसूत्र चिकित्सा-विज्ञान विशेषज्ञ	शल्य विभाग के शिक्षक
31.	शल्यकर्म कक्ष परिचारक	एक
32.	परिचारिका	एक, (क्रम संख्या 7 पर निर्दिष्ट परिचारिकाओं के अतिरिक्त)।
प्रसव कक्ष		
33.	प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के शिक्षक
34.	मिडवाइफ	एक
नैदानिक प्रयोगशाला		
35.	प्रयोगशाला तकनीशियन	दो
36.	चपरासी अथवा परिचारक	एक
शिक्षण औषधशाला तथा गुणता-परीक्षण प्रयोगशाला		
37.	औषधशाला प्रबन्धक अथवा अधीक्षक	रस-शास्त्र, भेषज्य कल्पना का शिक्षक
38.	चपरासी अथवा परिचर	एक
39.	कामगार	02(आवश्यकता के आधार पर अधिक संख्या)
40.	विश्लेषण रसायनज्ञ (अंशकालिक)	एक (विभाग में गैर शिक्षण स्टाॅफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
41.	भेषज अभिज्ञानी (अंशकालिक)	(विभाग में गैर शिक्षण स्टाॅफ के अन्तर्गत उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीशियन)
	कुल: 1. साठ शय्याओं के अस्पताल हेतु 2. सौ शय्याओं के अस्पताल हेतु	उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर छप्पन उपर्युक्त अनुसार शिक्षण विभाग के शिक्षकों को छोड़कर सत्तर

टिप्पणी:

1. साठ से अधिक शैख्याओं वाले चिकित्सालय हेतु आवासीय चिकित्सा अधिकारी, आवासीय शल्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक मेट्रन तथा भेषजज्ञ के रूप में प्रत्येक के लिए दो पदधारियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
2. चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल तथा विद्युत, सफाई का प्रबन्ध, दैनिक आहार तथा केन्टीन, धुलाई-घर तथा अपशिष्ट भस्मीकरण तथा फेंकने या नष्ट करने की सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान होंगे।
3. अनिवार्य ड्यूटी स्टाफ तथा सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध होंगी।
4. गैर तकनीक स्टाफ जैसे चपरासी, परिचर, सफाईवाला, चोकीदार, धोबी, माली एवं रसोईया इत्यादि की सेवाएं बहिःस्त्रोतन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
5. सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त चिकित्सालय स्टाफ की कम से कम 80 प्रतिशत की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-V

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज शिक्षण स्टाफ का विवरण

क्रं. सं.	शिक्षण विभाग	शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता					
		60 छात्रों तक			61 से 100 छात्रों तक		
(1)	(2)	(3)			(4)		
		प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
(1)	संहिता एवं सिद्धांत	1 अथवा 1		1 आयुर्वेद और 1 संस्कृत	1	1	1 आयुर्वेद और 1 संस्कृत
(2)	रचना शारीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
(3)	क्रिया शरीर	1 अथवा 1		1	1	1	1
(4)	द्रव्य गुण	1 अथवा 1		1	1	1	1
(5)	रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	1 अथवा 1		1	1	1	1
(6)	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	1 अथवा 1		1	1	1	1
(7)	स्वस्थवृत्त एवं योग	1 अथवा 1		1	1	1	1
(8)	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	1 अथवा 1		1	1	1	1
(9)	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	1 अथवा 1		1	1	1	2
(10)	काय चिकित्सा	1	1	1	1	1	2
(11)	शल्य	1 अथवा 1		1	1	1	1
(12)	शालाक्य	1 अथवा 1		1	1	1	1
(13)	कौमार भृत्य (वाल रोग)	1 अथवा 1		1	1	1	1
(14)	पंचकर्म	1 अथवा 1		1	1	1	1
		15		15	14	14	17
कुल		30			45		

टिप्पणी:

- I. उक्त के अतिरिक्त अनुसूची -IV (क्रम संख्या 14 से 22) पर निर्दिष्ट स्वस्थवृत्त तथा योग विभाग में एक योग शिक्षक, अनुसंधान मेथोडोलॉजी एवं चिकित्सा-सांख्यिकीय के शिक्षण हेतु एक जैव-सांख्यिकीविद तथा आधुनिक चिकित्सा के आठ परामर्शदाता शिक्षण हेतु अंशकालिक आधार पर विनियोजित किये जायेंगे।
- II. अंशकालिक शिक्षको की आवश्यकता विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति हेतु उपर्युक्त बिन्दु I में यथा उल्लिखित न्यूनतम कोई पांच होगी।
- III. साठ तक की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षको की कमी प्रत्येक चौदह विभागों में न्यूनतम एक शिक्षक की उपलब्धता सहित कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या न्यूनतम ग्यारह विभागों में वितरित बारह अध्यापको अथवा प्रवाचको से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - साठ तक की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम सताईस संकाय रखने होंगे, जिनमें से न्यूनतम ग्यारह विभागों से न्यूनतम बारह प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।

- IV. इक्सठ से सौ की प्रवेश क्षमता हेतु शिक्षको की कमी प्रत्येक चौदह विभागो में न्यूनतम एक उच्च संकाय तथा एक व्याख्याता की उपलब्धता सहित कुल शिक्षको के बीस प्रतिशत तथा कुल आवश्यकता के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उच्च संकाय की कुल संख्या उन्नीस से कम नहीं होगी। यह छूट विशिष्ट शैक्षिक सत्र हेतु प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने हेतु है। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालयों को कुल न्यूनतम चालीस संकाय रखने होंगे, जिनमे से सभी चौदह विभागो से न्यूनतम उन्नीस प्राध्यापक अथवा प्रवाचक होंगे।
- V. विभाग में जहाँ कहीं अतिरिक्त प्रध्यापक अथवा प्रवाचक उपलब्ध है, अतिरिक्त प्रध्यापको पर प्रवाचक अथवा व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा तथा अतिरिक्त प्रवाचक पर व्याख्याता की आवश्यकता हेतु विचार किया जाएगा। उदाहरण-स्वरूप - इक्सठ से सौ स्नातकीय सीटों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों में, रचना शारीर विभाग में एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता की आवश्यकता हेतु यदि वहाँ तीन प्राध्यापक अथवा एक प्राध्यापक तथा दो प्रवाचक अथवा एक प्राध्यापक, एक प्रवाचक तथा एक व्याख्याता है, तो महाविद्यालय इस विभाग में संकाय की आवश्यकता की पूर्ती कर रहा है तथा इस विभाग में संकाय की कोई कमी नहीं है।

अनुसूची-VI

(विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 8, विनियम 10 एवं विनियम 11 देखें)

आयुर्वेदिक कॉलेज के तकनीकी तथा अन्य स्टाँफ का विवरण

क्रं. सं.	विभाग	पद	आवश्यकता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	एक
		पुस्तकालय परिचर अथवा चपरासी	एक
2	कॉलेज कार्यालय	प्रशासनिक एवं लेखा सेवाओं हेतु लिपिकीय स्टाँफ	चार
3.	संहिता एवं सिद्धांत	परिचर	एक
4.	रचना शारीर	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहालयपाल लिफ्टर	एक एक एक
5.	क्रिया शरीर	प्रयोगशाला तकनीशियन	एक
6.	द्रव्य गुण	प्रयोगशाला तकनीशियन संग्रहालयपाल	एक एक
7.	रस शास्त्र	प्रयोगशाला तकनीशियन प्रयोगशाला सहायक	एक एक
8.	रोग निदान एवं विकृति विज्ञान	प्रयोगशाला तकनीशियन	दो
9	स्वस्थवृत्त एवं योग	संग्रहालयपाल	एक
10	अगद तंत्र एवं विधि वैद्यक	परिचर	एक
11	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	परिचर	दो
12.	काय चिकित्सा		
13.	शल्य		
14.	शालाक्य		
15.	पंचकर्म		
16.	कौमार भृत्य (बाल रोग)		
17.	वनौषधि उद्यान	माली बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता	एक दो
	कुल		पच्चीस

(सफाई कर्मचारी, परिचर, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर(डीईओ), बहुउद्देशीय कार्यकर्ता अनुबंध के आधार पर हो सकता है)

टिप्पणी: सशर्त अनुमति हेतु, उपर्युक्त के न्यूनतम अस्सी प्रतिशत तकनीकी तथा अन्य स्टाँफ की आवश्यकता होगी।

अनुसूची-VII

[विनियम 3, विनियम 6, विनियम 7, विनियम 10 तथा विनियम 11 देखें]

(क) क्रिया शारीर प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	अनिवार्य उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	माइक्रोस्कोप विद ऑयल इमर्शन	तीस	पचास
2.	ई.एस.आर. हेतु वैस्टरग्रीन पीपेट	साठ	सौ
3.	हीमाटोक्ट्रीट ट्यूब	साठ	सौ
4.	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर	साठ	सौ
5.	हीमोसाइटोमीटर	साठ	सौ
6.	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ	एक	एक
7.	स्टॉप वाच	साठ	सौ
8.	वाटर डिस्टिलेशन स्टिल	एक	एक
9.	बैलेंसेस	एक	एक
10.	स्पीड कंट्रोल सहित सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	तीन	छः
11.	कलरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक)	तीन	छः
12.	पी.एच. मीटर इलेक्ट्रिक	एक	एक
13.	डिस्क सहित पी.एच. कम्पैरेटर	एक	एक
14.	स्फिग्मोमैनोमीटर	तीस	पचास
15.	स्टेथेस्कोप	साठ	सौ
16.	क्लीनिकल थर्मामीटर	साठ	सौ
17.	नी-हैमर	साठ	सौ
18.	ट्यूनिंग फोर्क्स	साठ	सौ
19.	स्टेरेलाइजर	पांच	पांच
सामान्य			
20.	रेफ्रिजरेटर	एक	एक
21.	न्यूटनस कलर व्हील इन ए बैच	एक	एक
विविध			
22.	कवर स्लिप्स, ग्लासवेयर, माइक्रोस्लाइड्स	वर्गीकृत	

(ख) शव विच्छेदन कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	यंत्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	2-4 शव रखने हेतु टैंक	वर्गीकृत	
2.	बोन एवं ब्रेन के लिए सेक्शनिंग मशीन	वर्गीकृत	
3.	डिसेक्शन सेट्स	पंद्रह सेट्स	पच्चीस सेट्स
4.	डिसेक्शन टेबल		
(क)	फुल साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल	चर	छः

	टाप स्टेनलेस		
(ख)	हाफ साईज स्टील टाप के साथ अथवा मार्बल टाप स्टेनलेस	आठ	दस
सामान्य			
5.	एक्स-रे व्यूइंग वाक्स अथवा पैनल	तीन	तीन
विविध			
6.	बोन कटर नं. 3/4, 1/2, 1/4, 1/8-फाईन प्वाइंटिड चेजल बोन डिसेक्टर	वर्गीकृत	
7.	विभिन्न माप के कांच के जार	वर्गीकृत	
8.	संरक्षण हेतु रसायन	वर्गीकृत	

(ग) रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	खल्व यंत्र		
(क)	छोटा	दस	बीस
(ख)	मध्यम	दस	बीस
(ग)	पोर्सेलेन	दस	बीस
(घ)	तप्त खल्व यंत्र	दो	चार
2.	पाउडिंग एप्रेटस (उलूखल यंत्र)	दस	बीस
3.	पुट (विभिन्न प्रकार के)	पांच	दस
4.	मूषा (कूसिबल्स)	तीस	पचास
5.	धौंकनी सहित कोष्ठी बलोवर के साथ	दस	चार
6.	यंत्र		
(क)	दोला यंत्र	एक	एक
(ख)	वालुका यंत्र	एक	एक
(ग)	पिटर यंत्र	एक	एक
(घ)	भूधर यंत्र	एक	एक
7.	डिस्टिलेशन एप्रेटस एवं अर्क यंत्र हिकहिकहिक अ अर्क यंत्र	तीन	छः
8.	कूपीपक्व भट्टी	एक	एक
सामान्य			
9.	वेट ग्राइंडर	एक	एक
10.	मिक्सी	एक	एक
11.	जूस एक्सट्रेक्टर	एक	एक
12.	रेफ्रीजरेटर	एक	एक
13.	भण्डारण के लिए अलमारीयां ओर रेक्स	वर्गीकृत	
14.	तुला (विभिन्न क्षमता)		
(क)	फिजिकल	एक	एक
(ख)	केमिकल	एक	एक
(ग)	इलेक्ट्रॉनिक बेलेंस	एक	एक
15.	हीटिंग डिवाइज		
(क)	गैस स्टोव	वर्गीकृत	
(ख)	हॉट प्लेट	वर्गीकृत	
(ग)	चूल्हा (चारकोल)	वर्गीकृत	
16.	बड़े पात्र एवं धारक		

(क)	पीतल	वर्गीकृत
(ख)	ताम्र	वर्गीकृत
(ग)	स्टील इत्यादि	वर्गीकृत
(घ)	मिट्टी के पात्र एवं बर्तन	वर्गीकृत
विविध		
17	जार (पोरसेलैन) फरमनटेशन के उद्देश्य से	वर्गीकृत
18	इनेमल ट्रेज	वर्गीकृत
19	स्पीट लैम्प	वर्गीकृत
20	प्रेसर कुकर	वर्गीकृत
21	विभिन्न माप (कांच) के मापक उपकरण	वर्गीकृत
22	पाइरोमीटर	वर्गीकृत
23	थर्मामीटर	वर्गीकृत
24.	पात्र	वर्गीकृत
(क)	फ्राइंग पेन	वर्गीकृत
(ख)	स्टील वेसल	वर्गीकृत
(ग)	स्पैटुला	वर्गीकृत
(घ)	लैडल्स एवं स्पूनस	वर्गीकृत
(ङ)	नाइफ	वर्गीकृत
(च)	प्लेट्स	वर्गीकृत
(छ)	संदंश यंत्र (टॉग्स)	वर्गीकृत
25.	छलनी (वर्गीकृत संख्या एवं माप के)	वर्गीकृत

(घ) द्रव्यगुण (फार्माकोगनोसी) प्रयोगशाला के लिए उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यन्त्र	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता क्षमता
अनिवार्य			
1.	फील्ड मैग्निफायर	एक	एक
2.	कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप	एक	एक
3.	डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप	एक	एक
4.	माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
5.	इलेक्ट्रॉनिकस बैलेन्स	एक	दो
विविध			
6.	कवर स्लाइड सहित स्लाइड बॉक्स		
7.	ब्लोटिंग/फिल्टर पेपर	वर्गीकृत	
8.	डिसेक्शन बॉक्स	वर्गीकृत	
9.	इनेमल ट्रेज	वर्गीकृत	
10.	रेयजेन्ट्स	वर्गीकृत	
(क)	क्लोरोफार्म	वर्गीकृत	
(ख)	एल्कोहल	वर्गीकृत	
(ग)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	वर्गीकृत	
(घ)	सल्फ्यूरिक एसिड	वर्गीकृत	
(ङ)	सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	वर्गीकृत	
(च)	बैनेडिक्ट सोलुशन	वर्गीकृत	
(छ)	सोडियम नाइट्रेट	वर्गीकृत	
(ज)	पोटेशियम नाइट्रेट	वर्गीकृत	
(झ)	साइट्रिक एसिड	वर्गीकृत	

(ज)	आयोडिन	वर्गीकृत
(ट)	इथाइल एल्कोहल	वर्गीकृत
(ठ)	पोटेशियम आयोडाइड	वर्गीकृत
(ड)	जायलीन/शुद्ध जायलीन(स्लाइड तैयार करने के लिए)	वर्गीकृत

(ड.) रोग निदान प्रयोगशाला हेतु आवश्यक उपकरण और यन्त्रों का विवरण

क्रं.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	इकसठ से सौ तक छात्रों की प्रवेश क्षमता
अनिवार्य			
1.	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
2.	ऑयल इमर्सन सहित माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
3.	ऑयल इमर्सन लेंस 20 (ई) सहित मेनोकुलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस
4.	एक्स रे व्यू बाक्स	एक	एक
5.	साहली की स्क्वेयर ट्यूब	तीस	पचास
6.	एच.बी. पिपेट	तीस	पचास
7.	डब्ल्यू.बी.सी. पिपेट	तीस	पचास
8.	ड्रॉपर	तीस	पचास
9.	रैड सेल पिपेट	तीस	पचास
10.	इम्पूव्ड न्योबार चैम्बर	तीस	पचास
11.	इन्व्यूबेटर	एक	दो
12.	विन्ट्रोब ट्यूब	तीस	पचास
13.	पास्चर पिपेट	तीस	पचास
14.	सैनिट्रिफ्यूज ग्रेजुएटेड मशीन	एक	दो
15.	वैस्टरग्रेन पिपेट	तीस	पचास
16.	वैस्टरग्रेन स्टैण्ड	तीस	पचास
17.	यूरिनोमीटर	तीस	पचास
18.	आटोक्लेव	एक	एक
19.	अल्ट्रावायलेट लैम्प	एक	एक
20.	सैल काउन्टर (हीमोओटोएनालाइजर)	एक	एक
21.	बी.पी. एप्रेटस	तीस	पचास
22.	स्टेथस्कॉप	तीस	पचास
23.	थर्मामीटर	तीस	पचास
24.	टंग डिप्रेसर	तीस	पचास
25.	स्टॉप वाच	तीस	पचास
सामान्य			
26.	फिजिकल बैलेन्स	एक	एक
27.	हॉट एयर ओवन	एक	एक
28.	बुनसन बर्नर	तीस	पचास
29.	रेफ्रिजरेटर	एक	एक

विविध			
30.	नमूने एकत्र करने हेतु स्टेराइल वैसल/ बोतल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
31.	टार्च	वर्गीकृत	वर्गीकृत
32.	नी हेमर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
33.	मापक फीता	वर्गीकृत	वर्गीकृत
34.	ई.एन.टी. एग्जामिनेशन सैट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
35.	रिफ्लैक्टर (मिरर)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
36.	वेइंग मशीन	एक	एक
37.	ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत	वर्गीकृत
38.	नेजल स्पेक्युलम	वर्गीकृत	वर्गीकृत
39.	लेरिंजोस्कोप	वर्गीकृत	वर्गीकृत
40.	कैथेटर्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
41.	प्रोब्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
42.	एचबीएस ए.जी. किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
43.	एचआईवी किट-ट्राईडोट (टी मित्रा के तरीके से)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
44.	सीटी एवम् बी.टी.किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
45.	रीनल प्रोफाइल, एलएफटी किट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर किट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
46.	स्टेराइल डिस्पोसेबल लैन्सर/निडिल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
47.	ग्लास रोड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
48.	सिरिंज नीडिल डेस्ट्रॉयर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
49.	कवर स्लिप	वर्गीकृत	वर्गीकृत
50.	साफ स्लाइड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
51.	लिटमस पेपर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
52.	पीएच इन्डिकेटर पेपर स्ट्रिप्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत
53.	टेस्ट ट्यूब	वर्गीकृत	वर्गीकृत
54.	विभिन्न मापों की पृथक करने हेतु फनल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
55.	विभिन्न माप के ढक्कन सहित कांच के जार	वर्गीकृत	वर्गीकृत
56.	कैपिलरी ट्यूब	वर्गीकृत	वर्गीकृत
57.	रबर शीट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
58.	मैग्नीफाइंग लेंस	वर्गीकृत	वर्गीकृत
59.	वॉटर बाथ	वर्गीकृत	वर्गीकृत
60.	मल्टी स्टिक्स	वर्गीकृत	वर्गीकृत

(च) प्रसव कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यन्त्रों का विवरण

क्र.सं.	यन्त्र एवं उपकरण	अपेक्षित मात्रा
1.	शैडोलेस लैम्प	एक

2.	सक्शन मशीन (नियोनेटल)	एक
3.	ऑक्सीजन सिलिंडर एवं मास्क	एक
4.	फीटल टोको कार्डियोग्राफ	एक
5.	रेडिएन्ट वार्मर	एक
6.	फोटो थैरेपी यूनिट	एक
7.	वेइंग मशीन (बच्चों की)	एक
8.	रोगी हेतु ट्रॉली	एक
9.	एनस्थीसिया ट्रॉली	एक
10.	एन्फेन्टोमीटर	एक
11.	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	एक
12.	फीटल डॉपलर	एक
13.	लॉ कैविटी फारसेप्स	दो
14.	स्टरलाइजर	दो
15.	मशीनोटोस रबर शीट	वर्गीकृत
16.	लेबर एवं इपिसियोटोमी के लिए उपकरण (सीजर, फोरसेप्स, नीडल होल्डर इत्यादि)	वर्गीकृत
17.	बेबी ट्रे	दो
18.	निबूलाइजर	एक
19.	फीटोस्कोप	पांच
20.	ऑटो क्लेव	एक
21.	ड्रम	वर्गीकृत
22.	इन्सट्रुमेंटल ट्रॉली	वर्गीकृत
23.	ऑपरेशन टेबिल सिर उठाने व सिर नीचे करने की सुविधा सहित	एक
24.	पल्स ऑक्सीमीटर	एक
25.	रिसक्सीसिटेशन किट	एक
26.	बॉयलस एप्रेटस	एक
27.	इलैक्ट्रोकार्डरी	एक
28.	एमटीपी सक्शन मशीन	एक
29.	एनस्थीसिया किट	एक
30.	ब्लन्ट एण्ड शार्प क्यूरेटर	छस
31.	डायलेटर सैट (हैंगर एण्ड हॉकिन्स)	पांच
32.	सिम्स स्पैकुलम	पांच
33.	सिस्कोज स्पैकुलम	पांच
34.	एन्टीरियर वैजाइनल वाल रिट्रेक्टर	पांच
35.	यूटराइन साउन्ड	पांच
36.	वालसैलम	पांच
37.	एमटीपी सक्शन क्यूरेट	पांच
38.	रिट्रेक्टर्स एब्डोमिनल (डोइन इत्यादि)	पांच
39.	स्पंज हाल्डिंग फोरसेप्स	पांच
40.	ग्रीन अर्मीटेज फारसेप्स	पांच
41.	यूटेरस होल्डिंग फारसेप्स	पांच
42.	कोचर्स फॉरसेप्स	पांच
43.	आरट्री फॉरसेप्स (लॉंग, शॉर्ट, मास्क्यूटो) प्रत्येक	पांच
44.	विभिन्न आकार की कैंची	पांच
45.	फारसेप्स आब्स्ट्रेटिक	पांच
46.	एन्डोट्रेकियल ट्यूब	पांच

47.	कॉर्ड काटने का उपकरण	पांच
48.	आईयूसीडी रिमूविंग हुक	पांच
49.	ब्लौडर साउन्ड	पांच
50.	वीपी एप्रैटस	दो
विविध		
51.	आपातकालीन रोगी के लिए एच आई वी किट	वर्गीकृत
52.	प्लेन एवम् होल टॉवल	वर्गीकृत
53.	टॉवल क्लिप्स	वर्गीकृत
54.	कटगट्स एवम् थ्रेड	वर्गीकृत
55.	नीडिल	वर्गीकृत
56.	नीडिल होल्डर्स	वर्गीकृत

(छ) शल्यकर्म कक्ष हेतु आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	उपकरण एवं यंत्र	अपेक्षित मात्रा
I	शल्य	
अनिवार्य		
1.	स्पॉट लाइट (शैडोलेस सिलिंग फिटेड)	एक
2.	नीडिल होल्डिंग फारसैप्स (बड़ी-छोटी-मध्यम)	वर्गीकृत
3.	वर्गीकृत आकार के ड्रेसिंग ड्रम	वर्गीकृत
4.	ड्रम स्टैण्ड	वर्गीकृत
5.	आई.वी. स्टैण्ड	दो
6.	चीटल्स फॉरसैप्स	चार
7.	मोस्कीटो फॉरसैप्स	चार
8.	सीधी कैंची (टेलर)	चार
9.	विभिन्न साईज की कर्वड सीजर	पांच प्रत्येक
10.	स्टिच रिमूवल सीजर्स	पांच प्रत्येक
11.	डिसैक्शन फॉरसैप्स	चार
12.	साइनस फॉरसैप्स	चार
13.	प्रोब्स एसोर्टिड साईज	पांच प्रत्येक
14.	पाइन्टेड सीजर्स	चार
15.	एब्डामिनल रिट्रैक्टर्स	पांच
16.	टिशू फारसेप्स	पांच
17.	बॉब कोक्स फारसेप्स	पांच
18.	कोचर्स फारसेप्स	पांच
19.	यूरिथ्रल डायलेटर	पांच प्रत्येक
20.	मैटल कैथेटर	पांच प्रत्येक
21.	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स	चार
22.	राइट ऐंगल कोलेसिस्टेक्टमी फॉरसैप्स	चार
23.	स्टोन होल्डिंग फॉरसेप्स	चार
24.	एलीस फॉरसेप्स स्मॉल	चार
25.	एलीस फॉरसेप्स बिग	चार

26.	आर्टरी फॉरसेप्स स्मॉल	चार
27.	आर्टरी फॉरसेप्स बिग	चार
28.	आर्टरी फॉरसेप्स मीडियम	चार
29.	सिग्माइडोस्कोप रिजिड/फ्लैक्सिबल	एक
30.	बैरन पाइल्स गन	दो
31.	लैरिंगोस्कोप (पीडियाट्रिक/अडल्ट)	एक
32.	बोइल्स अपैरेटस	एक
33.	मल्टीपैरामीटर मानीटर	एक
34.	अम्बू बैग	दो
35.	सक्शन मशीन इलैक्ट्रिकल/मैनुअल	एक
36.	स्कीन ग्राफिटींग नाइफ हेन्डल सहित	वर्गीकृत
37.	विभिन्न माप के सर्जिकल ब्लेड्स	वर्गीकृत
38.	सैल्फ रिटैनिंग रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
39.	बोन कटर	दो
40.	गिग्लीसॉ	दो
41.	स्कूप	वर्गीकृत
42.	पैरीआस्टियम एलीवेटर	दो
43.	मगल्स फॉरसैप्स	वर्गीकृत
44.	हाई प्रेशर आटोकलेव	एक
45.	नाइट्रस आक्साइड सिलिंडर	एक
46.	हाइड्रोलिक ऑपरेशन टेबल	एक
47.	बोइल्स अपैरेटस	एक
48.	इन्स्ट्रुमेंट ट्राली	वर्गीकृत
49.	एन्डोट्रेकियल ट्यूब	वर्गीकृत
50.	इल्यूमिनेशन सहित अथवा इल्यूमिनेशन रहित प्राक्टोस्कोप	दो
51.	ग्रेब्रिल सिरिन्ज	एक
52.	ट्राली सहित स्ट्रेचर	दो
53.	सक्शन मशीन	वर्गीकृत
सामान्य		
54.	इमरजेंसी पावर बेक अप सुविधा	वर्गीकृत
55.	इमरजेंसी लाइट	चार
56.	फायर एक्सटिंग्विशर	दो
57.	बी.पी.एप्रेटेस	वर्गीकृत
58.	फ्यूमिगेटर	एक
59.	रैफ्रिजरेटर	एक
60.	एक्स-रे व्यू बॉक्स(डबल)	दो
61.	रिवाल्विंग स्टूल	वर्गीकृत
62.	वर्टिकल बी.पी. इन्स्ट्रुमेंट	एक
63.	वर्गीकृत आकार के रबर केथेटर्स	वर्गीकृत
विविध		
64.	कार्गुटड रबर ड्रेन	वर्गीकृत
65.	विभिन्न आकार के सूचरिंग नीडिल (स्ट्रेट/कर्वड)	वर्गीकृत

66.	सर्जिकल थ्रैड	वर्गीकृत
67.	विभिन्न आकार के बी पी.हेन्डल	वर्गीकृत
68.	निडिल होल्डर	वर्गीकृत
II	शालाक्यः नेत्रीय शल्यकर्म के लिए आवश्यक उपकरण/यन्त्र	
अनिवार्य		
69.	आपथैल्मिक ऑपरेशन टेबल विद हैड रेस्ट	दो
70.	स्टैरिलायजिंग बॉक्स/ केस विद मैट्स	वर्गीकृत
71.	लेन्स इन्सेशन फॉरसेप्स	वर्गीकृत
72.	किरेटोम	वर्गीकृत
73.	डिस्मार्स लिड रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
74.	कैट पॉ लैक्रिमल रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
75.	मूलर लैक्रिमल सैक रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
76.	दस्तूर आईरिस रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
77.	मीयरहाफर चेलोजियन क्यूरेट	वर्गीकृत
78.	सिंस्काई लैन्स मैनिपुलेटिंग हुक	वर्गीकृत
79.	आई.ओ.एल. मैनिपुलेटर	वर्गीकृत
80.	फारेन बाडी स्पड	वर्गीकृत
81.	लेविस लैन्स लूप (वैक्टिस)	वर्गीकृत
82.	सिस्टोटोम एण्ड स्पून	वर्गीकृत
83.	म्यूल एक्सिरेशन स्पून	वर्गीकृत
84.	आईरिस रिपोसिटरी (डबल-एण्डेड)	वर्गीकृत
85.	जेमसन मसल हुक	वर्गीकृत
86.	विल्स काट्री विद कापर बाल पाइंट	वर्गीकृत
87.	लैंग्स लैक्रिमल सैक डिसेक्टर	वर्गीकृत
88.	कैली ग्लूकोमा पंच	वर्गीकृत
89.	इलिवेटर (डबल इण्डेड)	वर्गीकृत
90.	नेसल स्पैकुलम (युवा/बाल्यवास्था हेतु)	वर्गीकृत
91.	वाइल्डर पंचटम डाइलेटर	वर्गीकृत
92.	बोमैन लैक्रिमल प्रोब्स	वर्गीकृत
93.	हार्टमैन मासक्यूटो फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
94.	कोलिब्री फॉरसेप्स 1*2 टीथ	वर्गीकृत
95.	मैक पर्सन कार्नल फॉर्सेप्स विद टाईंग प्लेटफॉर्म	वर्गीकृत
96.	ड्रेसिंग फॉर्सेप्स, सिरेटड	वर्गीकृत
97.	मूर फील्ड कंजक्टिवल फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
98.	फिक्सेशन फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
99.	वीर सीलिया (एपिलेशन) फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
100.	अरुगा कैस्पुलर फॉर्सेप्स	वर्गीकृत
101.	स्नैलन एन्ट्रोपियान क्लैम्प	वर्गीकृत
102.	चलैज़ियन क्लैम्प	वर्गीकृत
103.	वन्नास स्ट्रेट सिज़र्स	वर्गीकृत
104.	बराकवयर नीडल होल्डर	वर्गीकृत

105.	एयर इन्जेक्शन कैन्डूला	वर्गीकृत
106.	हीलान एस्पिरेंटिंग कैन्डूला	वर्गीकृत
107.	ए.सी.वाशआउट कैन्डूला	वर्गीकृत
108.	लैक्रिमल कैन्डूला	वर्गीकृत
109.	हाइड्रोलाइसिस कैन्डूला	वर्गीकृत
110.	जे-लूप कैन्डूला (राइट/लैफ्ट विद सिलिकान ट्यूबिंग)	वर्गीकृत
111.	सिम्कोक डायरेक्ट आई/ए कैन्डूला विद सिलिकॉन ट्यूबिंग	वर्गीकृत
112.	इरिगेटिंग एस्प्राइरेटिंग हेण्डल	वर्गीकृत
113.	लैस डायलर	वर्गीकृत
114.	सुपीरियर रेक्टस फारसेप्स	वर्गीकृत
115.	आई वाश ग्लासेस (तर्पण कर्म हेतु)	वर्गीकृत
116.	स्विमिंग गगलस (तर्पण कर्म हेतु)	वर्गीकृत
III	ई.एन.टी. में शल्यकर्म हेतु उपकरण एवं यंत्रों का विवरण	
अनिवार्य		
117.	आरल सिरिज	वर्गीकृत
118.	जाबसन्स आरल प्रोब	वर्गीकृत
119.	यूस्टेचियन कैथेटर	वर्गीकृत
120.	मैस्टाइड रिट्रेक्टर	वर्गीकृत
121.	मैस्टाइड गॉज	वर्गीकृत
122.	मैलेट	वर्गीकृत
123.	नेजल फारेन बॉडी हुक	वर्गीकृत
124.	नेजल पैकिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
125.	नेजल स्नेर	वर्गीकृत
126.	बेयोनेट शेड गॉज	वर्गीकृत
127.	वाल्सम फारसेप्स	वर्गीकृत
128.	लैरिन्जियल फारसेप्स	वर्गीकृत
129.	टंग प्लेट विद थ्राट सक्शन	वर्गीकृत
130.	टांसिल होल्डिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
131.	टांसिलर सक्सन	वर्गीकृत
132.	एडिनायड क्यूरेट विद केज	वर्गीकृत
133.	पेरीटांसिलर एब्सिस ट्रेनिंग फारसेप्स	वर्गीकृत
134.	फुलर्स ट्रेक्रियोस्टोमी ट्यूब	वर्गीकृत
135.	चीटल्स फारसेप्स	वर्गीकृत
विविध		
136.	अन्य प्रयोग होने वाला सामान जैसे दस्ताने, सिरिज, बैन्डेजेस सूत्र आदि	वर्गीकृत

(ज) बहिरंग रुग्ण विभाग में आवश्यक उपकरण एवं यंत्रों का विवरण

क्र.सं.	बहिरंग रुग्ण विभाग का नाम	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं	आवश्यक मात्रा
1.	कायाचिकित्सा		
अनिवार्य			
		एक्स-रे ब्यूइंग बाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो

		स्टेथोस्कोप	चार
		टार्च	दो
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		थर्मामीटर	चार
		टंग डिप्रेसर	पांच
		वेट एण्ड हाइट मेजरिंग स्टैंड	एक
		मेजरिंग टेप	एक
		नी हेमर	दो
विविध			
		ग्लव्ज़	वर्गीकृत
2.	शल्य		
अनिवार्य			
		एक्स-रे व्यूइंग वाक्स	एक
		स्टेथोस्कोप	चार
		इंस्ट्रुमेंट फार एनोरेक्टल एग्जामिनेशन	दो सेट्स
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		थर्मामीटर	चार
		टार्च	वर्गीकृत
		चीटल फारसेप्स	वर्गीकृत
सामान्य			
		लघु शल्यकर्म क्रिया कक्ष	वर्गीकृत
विविध			
		सर्जिकल ब्लेडस	वर्गीकृत
3.	शालाक्य		
अनिवार्य			
		ट्यूनिंग फार्क	वर्गीकृत
		आपथैल्मोस्कोप/फंडोस्कोप	दो
		आरो स्कोप	दो
		एग्जामिनेशन टेबिल	एक
		एक्स-रे व्यूइंग वाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	चार
		थर्मामीटर	चार
		इ.एन.टी. किट	वर्गीकृत
		टार्च	दो
		बुल्स लैम्प	एक
4.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग		
अनिवार्य			
		वेइंग मशीन	एक
		सिम्स स्पैक्यूलम	दो
		थर्मामीटर	चार
		कस्कोस स्पैक्यूलम	दो
		एग्जामिनेशन टेबल	एक
		लैम्प स्टैण्ड	एक
		टार्च	दो
		एक्स-रे व्यूइंग वाक्स	एक
		बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	चार
		मेजरिंग टेप	दो

5.	बालरोग	अनिवार्य	
		स्केल	एक
		वेईंग मशीन	एक
		टार्च	दो
		एक्स-रे ब्यू वाक्स	एक
		थर्मामीटर	चार
		पिंडिएट्रिक कफ सहित बी.पी. एप्रेटस	दो
		स्टेथोस्कोप	वर्गीकृत
		एग्जामिनेशन टेबल	वर्गीकृत
6.	पंचकर्म	कायचिकित्सा के आधार पर	
7.	योग अनुभाग (स्वास्थ्य रक्षण)	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, यंत्र, फर्नीचर इत्यादि)	वर्गीकृत
8.	आपात स्थिति	उपलब्ध सुविधाएं (उपकरण, यंत्र, फर्नीचर इत्यादि)	वर्गीकृत

क.नटराजन, निबंधक-सह-सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./290(124)]

टिप्पणी:-- अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

No. 28-15/2016-Ay.(MSR).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, to regulate the requirement of colleges for education in Ayurveda system of medicine, namely:-

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- “Act” means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970);
- “college” means an Under-graduate Ayurveda College or Institute;
- “attached hospital” means a teaching Ayurveda hospital attached to the college;
- “Central Council” means the Central Council of Indian Medicine.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Requirements of Minimum Standard to grant of permission-

- The Ayurveda colleges established under section 13A and existing under section 13C of the Act and their attached hospitals shall fulfill the requirements of minimum standard for infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 11 upto the 31st December of every year for consideration of grant of permissions for undertaking admissions in the coming academic session;
- the Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission;
- the proforma of visit as prescribed by the Central Council on its website shall be filled online by the colleges and visitors respectively followed by submission of a hard copy of the same as per visitors guidelines issued by Central Council from time to time;
- the videography and photography of staff and infrastructure during the visit shall be made by the visitors and submitted along with detailed report and observations to the Central Council;
- after submission of online detailed report and observations by the visitors to the Central Council, the Central Council shall submit its recommendation along with detailed report to the Central Government within a period of one month from the submission of report by the visitors;
- the Central Council shall certify that teaching faculty present in the college is not working at any other place;
- the position prevailed on the date of visit to assess the fulfilment of requirements as specified in these regulations except sub-regulation (2) of regulation 7 shall be taken into consideration for grant of conditional permission or permission for a period of five years to the colleges.

(2) Requirements of Minimum Standard to grant of permission for a period of five years-

- (a) After fulfilment of the requirement as per these regulations by the college, the permission shall be granted to undertake admissions for a period of five years. The college shall be randomly inspected within the said period on receipt of any complaint; or if from online Bio-metric attendance it is found that teaching, non-teaching staff, hospital staff not present regularly, or hospital is not properly functional, or otherwise as required by the Central Government or by the Central Council;
- (b) any deficiencies arising within the said period shall be fulfilled by the college within hundred-fifty days under intimation to the Central Council otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn;
- (c) colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 to 2018-19 and 2015-16 to 2019-20 shall be maintain the requirements as specified under the regulations 4 to 11 otherwise the permission for a period of five years deemed to be withdrawn.

(3) Requirements of Minimum Standard to grant of conditional permission of one year-

- (a) The conditional permission of one year for particular academic session shall be granted only to those colleges which are fulfilling following requirements on the basis of the inspection by the Central Council between the 31st December to the 31st March for the succeeding academic session:
 - (i) the requirement of teachers as specified in the Schedule-V;
 - (ii) the requirement of teaching hospital as specified under sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (iii) availability of minimum seventy-five percent. of required equipment as specified in the Schedule-VII;
 - (iv) availability of herbal garden as specified in the Schedule-III;
 - (v) availability of hospital staff as specified in the Schedule-IV,
 - (vi) availability of technical and other staff as specified in the Schedule-VI;
 - (vii) availability of college council as specified in sub-regulation (1) of regulation 9;
 - (viii) availability of college website as specified in sub-regulation (2) of regulation 9;
 - (ix) availability of biometric attendance as specified in sub-regulation (3) of regulation 9; and
 - (x) availability of minimum constructed area of college and hospital as specified in regulation 5.
- (b) the colleges, which have been granted conditional permission or which have been denied permission for the academic session 2015-16 shall be required to fulfill the requirements as specified above in clause (a) to obtain the conditional permission of one year for particular academic session or for a period of five years as specified in the regulations 4 to 11.

4. Requirement of Land-

- (1) The total build up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than three acres, for an intake capacity up to sixty seats.
- (2) For intake capacity from sixty-one to hundred seats, the land shall not be less than five acres and in not more than two plots at a distance not exceeding two kilo meters, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.
- (3) The total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules.
- (4) For permission of Central Government, a certificate from the local municipal authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the Schedule-I and the Schedule-II which shall be accommodated in the piece of land, shall be provided at the time of applying.
- (5) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease.
- (6) The requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges established prior to the 7th November, 2003, but at the end of the current lease period, such colleges shall either own the land or get it on the lease for a period not less than ninety-nine years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory.

5. Requirement of minimum constructed area-

- (1) The college and attached hospital shall have the constructed area of two thousand square meter each for intake capacity up to sixty seats.
- (2) The college and attached hospital which have intake capacity of sixty-one to hundred seats shall have the constructed area of four thousand and three thousand and five hundred square meters, respectively.

- (3) The college and hospital shall be constructed in separate buildings as per the details specified in the Schedule-I and the Schedule-II and the requirement of separate college and hospital buildings will be applicable only to the colleges established after the 18th July, 2012.
- (4) The college shall also maintain other infrastructural requirements such as sufficient accommodation for college and hospital staff, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services and workshop and adequate parking space within the campus of college and hospital.
- (5) The herbal garden shall have the minimum area as prescribed in the Schedule-III.

6. Admission Capacity- The annual intake capacity of the colleges shall be in the slabs of sixty and hundred. The colleges having intake capacity of less than sixty or sixty-one to hundred seats, shall comply the requirements for sixty or hundred seats respectively, as specified in the Schedules-I to VII.

7. Requirements of teaching Hospital-

- (1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council. The concerned State Government or Union territory shall issue the No Objection Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission(s) or clearance(s).
- (2) **Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance:** The ratio of students with number of beds, In-Patient Department bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be 1:1, forty per cent. and 1:2, respectively, as given in Table below and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter.

Table

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In-Patient Department on the 1:1 student-bed ratio	Minimum per day average number of patients in In-Patient department during last one calendar year (365 days) (40% bed occupancy)	Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (300days) (1:2 student-patient ratio)
Up to sixty students	60 beds	24	120
Sixty-one to hundred students	100 beds	40	200

To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient. The bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

Number of bed days occupied X100

Number of beds X Number of days

(3) **Maintenance of record of attendance of Out-Patient Department and In-Patient Department patients:**

- (i) The College and hospital shall maintain the web based computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department. The college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, case papers of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates etc.so as to substantiate the claim of genuine functional Ayurveda hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7.
- (ii) For conditional permission, the College and hospital shall maintain the computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, the college shall also maintain the Department-wise Out-Patient Department and In-Patient Department records to substantiate the claim of genuine functional Ayurveda hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7 and the computerised central registration system shall be web based from the 1st December, 2016. Colleges which were permitted for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall be required to maintain web based computerised central registration system from the 1st December, 2016.

(4) **Space requirement:**

The hospital shall accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department and wards in addition to reception, patient's waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, hospital side pharmacy, kitchen, service rooms, medical record-room, Pancharkarma therapy section, Ksharsutra therapy

section, Operation Theatre, Labour Room, Store Rooms, separate wards for male and female, Duty rooms for Doctors, Nurses and other staff etc. required for a fully functional hospital and the specification of built up area in the attached hospital shall be as per the Schedule-I.

(5) **Out-Patient Department:**

The hospital shall have minimum eight following Out-Patient Departments, namely-

- (i) Kayachikitsa
- (ii) Panchakarma
- (iii) Shalya Tantra
- (iv) Shalakyata Tantra (two rooms for Out-Patient Departments)
 - (a) Netra Roga Vibhaga
 - (b) Karna-Nasa-Mukha evam Danta Roga Vibhaga
- (v) Prasuti evam Striroga
- (vi) Kaumarabhritya (Balaroga)
- (vii) Swasthavritta evam Yoga
- (viii) Aatyayika (Emergency)

(6) **In-Patient Department:** The In-Patient Department of the hospital shall have separate male and female wards and distribution of beds shall be as under –

In-Patient Departments	Distribution	60 beds	100 beds
Kayachikitsa (Panchakarma, Rasayana and Manas Roga etc)	50% beds	30	50
Shalya Tantra and Shalakyata Tantra	25% beds	15	25
Prasuti evam Striroga and Kaumarabhritya	25% beds	15	25

(7) **Rog Nidan evam Prayogshaliya Parikshan Prayogshala (Clinical Laboratory for clinical diagnosis and investigations):** There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with infrastructure and manpower as specified in the Schedule I, the Schedule-II, the Schedule-IV, the Schedule-V and the Schedule-VII for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Ayurvedic diagnostic techniques on the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital.

(8) **Hospital Staff:** The minimum staff required for hospital shall be as specified in the Schedule-IV.

8. Requirements of College-

- (1) (a) **Teaching staff:** There shall be minimum thirty full time teachers and forty-five full time teachers appointed on regular basis for admissions of up to sixty students and sixty-one to hundred students respectively with the addition of ten part time teachers (eight teachers of Modern Medicine, one Yoga teacher and one Biostatistician) for each slab as specified in the Schedule-V, the teacher fulfilling the eligibility norms of the related teaching post or subject teacher shall be appointed on deputation or contractual basis.
- (b) **Age of superannuation of teachers:** The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central Government or State Government or University Grant Commission. The retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full time teacher.
- (c) The detail of every teacher such as academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions, date of joining shall be on the website of college.
- (d) The list of all the teachers with complete detail such as Code allotted by the Central Council, academic qualification, total teaching experience along with name of previous institutions and present institute, shall be displayed at the website of the Central Council.

(2) **Requirement of technical and other staff:** Technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in the Schedule-VI.

9. Miscellaneous requirements.-

(1) **College Council:**

- (a) Every medical college or medical institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal or Dean as Chairperson;
- (b) the College Council shall meet minimum four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters; and
- (c) the College Council shall also organise interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the Institution regularly.

(2) **College Website:** Each and every college or institute shall have its own website wherein the following details updated in the first week of every month shall be provided-

- (a) details of Director or Dean or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and State Trunk Dialing code, fax and E-mail etc;
 - (b) details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc;
 - (c) details of non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
 - (d) details of the sanctioned intake capacity of various courses under graduate as well as post graduates;
 - (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise for the current and previous year;
 - (f) any research publications during the last one year;
 - (g) details of any Continuous Medical Education (CME) programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution;
 - (h) details of any awards and achievement received by the students or faculty;
 - (i) details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
 - (j) result of all the examinations of last one year;
 - (k) detailed status of recognition of all the courses;
 - (l) details of clinical material in the hospital;
 - (m) the College website shall be linked with the Central Council website, which shall be linked to the Ministry's website as well; and
 - (n) the Month-wise analysis of attendance of teaching, non-teaching college staff, hospital staff, students and Patients in Out-Patient Department and In-Patient Department shall be displayed on College website.
- (3) **Biometric Attendance:** (i) It is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (ii) For conditional permission biometric attendance shall be web based and CRC linked from the 1st December, 2016.
- (iii) The colleges which were granted permission for a period not exceeding five years from the academic session 2014-15 and 2015-16 shall maintain web based and CRC linked biometric attendance from the 1st December, 2016.

10. Phase-wise specific requirements of new colleges.— (1) An Ayurveda college seeking permission for starting Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (Ayurvedacharya) Course under the provisions of section 13A of the Act, shall establish infrastructure and manpower as given below:

- (a) **Before admission of the first batch of students, the college shall have-**
- (i) at the time of submission of application, there shall be a fully developed hospital building as specified regulations 4 and 5 with functional Ayurveda hospital prior two years from the date of application, having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
 - (ii) all teachers with the requisite qualifications as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for first professional year of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
 - (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakyas, Prasuti evam Stri Roga, Kaumarbhritya appointed for operating the teaching hospital and the experience of specialist doctor or clinical teacher shall be considered as a teacher from the date of appointment of the specialist doctor or two years prior to submission of application by the applicant to the Central Government to establish a college whichever is lesser;
 - (iv) a library with two thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule-VI;
 - (v) well-equipped and furnished two lecture halls and teaching departments and laboratories and museums essential for the first professional year of teaching as specified in Schedules - I to VII;
 - (vi) a medicinal plants garden covering over two thousand and five hundred square meter of land and four thousand square meter of land for upto sixty seats and sixty-one to hundred seats respectively with plantation of minimum one hundred species of medicinal plants;
 - (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and
 - (viii) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

(b) Before the admission of the second batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be a functional Ayurveda hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first and the second professional years of teaching and training shall be appointed, and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, Prasuti evam Stri Roga, Kaumarbhritya Departments for working in the college hospital;
- (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule-VI;
- (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first and second professional years of teaching as specified in Schedules - I to VII;
- (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
- (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
- (viii) there shall be a Teaching Pharmacy (Rasayanashala) and quality Testing Laboratory attached to Department of Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as specified in Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus; and
- (ix) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

(c) Before the admission of third batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be a functional Ayurveda hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second and third professional years of teaching and training shall be appointed and wherever there is shortfall of Professors, equal number of Readers shall be appointed;
- (iii) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of Kayachikitsa, Panchakarma, Shalya, Shalakya, Prasuti evam Stri Roga, and Kaumarbhritya departments for working in the college hospital;
- (iv) a library with five thousand books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule - VI;
- (v) well-equipped and furnished three lecture halls and teaching departments, laboratories and museums, essential for first, second and third professional years of teaching as specified in Schedule - I to VII;
- (vi) minimum one hundred and fifty species of medicinal plants and a herbarium-cum-demonstration hall in the medicinal plant garden;
- (vii) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV;
- (viii) there shall be a Teaching Pharmacy (Rasayanashala) and quality Testing Laboratory attached to Department of Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana, with minimum area as specified in Schedule II and equipment as specified in Schedule-VII for preparation of medicine as per syllabus; and
- (ix) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.

(d) Before the admission of the fourth batch of students, the college shall have-

- (i) there shall be a functional Ayurveda hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in the sub-regulation (2) of regulation 7;
- (ii) all teachers with the requisite qualification as specified in Regulation 8 and non-teaching staff as specified in Schedule-VI, which are required for the first, second, third and fourth professional years of teaching and training shall be appointed;
- (iii) all infrastructure and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with as specified in these regulations 4 to 11;
- (iv) a library with seven thousand and five hundred books, seating capacity of fifty persons for up to sixty admissions and eighty persons seating capacity for sixty-one to hundred admissions and staff as specified in Schedule - VI;
- (v) a fully developed medicinal plants garden as specified in Schedule - III;
- (vi) fully functional laboratories and pharmacy with drug testing facilities as specified in Schedules - I to VII;
- (vii) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital; and

- (viii) it is mandatory to have web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked computerised biometric attendance system for teaching staff and web based computerised biometric attendance system for non-teaching college staff and hospital staff.
- (2) (a) The permission to establish a new medical college and admissions to the students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of achievement of annual targets as specified above in sub-regulation (1).
 (b) It shall be the responsibility of the college to apply to the Central Council for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
 (c) This process of renewal permission shall continue till such time the establishment of the new medical college is completed for passing-out of the first batch.
- (3) The person or Medical College who applies under Section 13A of the IMCC Act, 1970 for establishment of new medical college, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity, shall be required to maintain web based and CRC (Central Registration Certificate issued by the Central Council) linked biometric attendance system for teaching staff and web based biometric attendance system for non-teaching college staff, hospital staff and web linked computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-patient department and In-patient department of the hospital. These requirements for those applicants who applied in the year 2015 shall not be taken into consideration for issuance of the Letter of Intent but they shall be fulfilled these requirements before issuance of the Letter of Permission for the academic session 2016-17.

11. List of equipment, machinery, etc.— To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the colleges shall possess the minimum ninety percent. of required equipment, machinery etc. in the teaching departments, hospital, laboratories and dissection hall, library, pharmacy and other units of the college in sufficient numbers, as specified under the Schedules-I to VII.

12. Date of completion of permission process and cut -off-date for admission in Ayurveda Colleges-

- (1) The process of grant or denial of permission to the Ayurveda Colleges for taking admissions in the Ayurveda colleges shall be completed by the 31st July of each academic session.
 (2) The cut-off-date for admission in Ayurveda colleges shall be the 30th September of each academic session.

SCHEDULE-I

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL OF AYURVEDA COLLEGE

Sl. No.	Particulars	Built up area (in square meter)	
		Up to sixty students	Sixty-one to hundred students
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>I.</i>	<i>Total constructed area of hospital building</i>	2,000	3500
II. Hospital Administration Block:		100	150
1.	Superintendent room		
2.	Deputy Superintendent room		
3.	Medical officers' room (for two Resident Medical Officer or Resident Surgical Officer)		
4.	Matron room		
5.	Assistant Matron room (for two)		
6.	Reception and Registration		
III. Out-Patient Departments (OPD)		300	500
1.	Kayachikitsa Out Patient Department		
2.	Shalya Out Patient Department with toilet, wash basin and Examination Room		
3.	Shalakya Tantra Out Patient Department		
4.	Stri Roga evum Prasooti Tantra Out Patient Department with toilet and Examination Room		
5.	Kaumarbhritya (Balarog) Out Patient Department		
6.	Swasthavrittiaeum Yoga Out Patient Department with demonstration area		
7.	Atyayika (Casualty) section with toilet and wash basin		
8.	Dressing and First Aid Room, Kshar Sutra Room		
9.	Dispensary		
10.	Waiting Space for patients		
11.	Store		

12. Separate Male and Female Toilets for patients and staff		
IV. In Patient Departments (IPD)	900	1650
1. Kayachikitsa and Panchakarma Male Ward with attached toilet and bath room		
2. Kayachikitsa and Panchakarma Female Ward with attached toilet and bath room		
3. Shalya and Shalakya Male Ward with attached toilet and bath room		
4. Shalya and Shalakya Female Ward with attached toilet and bath room		
5. Prasooti evum StriRoga and Kaumarbhritya Ward with attached toilet and bath room		
6. Doctors' duty room one for each department with attached toilet and bath		
7. Nursing staff duty rooms, one in each ward with attached toilet-bath.		
8. Store room for linen, etc.		
V. Operation Theatres Block.	150	250
1. Operation Theatre for Major, Minor and Shalakya Procedures		
2. Labour Room with attached toilet and bath room		
3. Neonatal care room		
4. Central sterilisation/autoclave unit		
5. Scrub room		
6. Two Recovery room		
7. Doctor's duty room with attached toilet and bath room		
8. Interns/house officer/resident doctors room with attached toilet and bath room		
9. Nursing staff room with attached toilet and bath room		
VI. Panchakarma Block:	200	350
1. Snehana Kaksha (Male)		
2. Snehana Kaksha (Female)		
3. Swedana Kaksha (Male)		
4. Swedana Kaksha (Female)		
5. Shirodhara Kaksha (Male)		
6. Shirodhara Kaksha (Female)		
7. Vamana Kaksha (Male)		
8. Vamana Kaksha (Female)		
9. Virechana Kaksha (Male)		
10. Virechana Kaksha (Female)		
11. BastiKaksha(Male)		
12. BastiKaksha(Female)		
13. Rakta Mokshana, Jalaukavacharana, Agnikarma, Pracchanna etc Kaksha		
14. Panchakarma therapist/Physician's room		
15. Panchakarma store room		
16. Attached toilet-baths for males and females with wash basin and geyser facility in each. These will be in addition to the toilets of wards.		
VII. Physiotherapy Unit:	75	150
1. Physiotherapy Room		
2. Physiotherapist room		
VIII. Clinical Laboratory:	100	150
Well-equipped with separate sections for Pathology, Biochemistry and Micro-biology. Attached toilet shall be there for collection of urine samples. Other diagnostic tools for ECG or TMT etc. shall be provided.		
IX. Radiology or Sonography Section:	50	100
Radiologist chamber, X-ray room, Dark room, film drying room, store room, patients waiting and dressing room, reception or registration or report room.		
X. Hospital Kitchen and Canteen:	100	150
XI. Stores/Mortuary:	25	50
TOTAL	2,000	3,500

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total area of attached hospital shall be as per the area specified in regulation 5.

2. The breakup of built up area requirement of the attached hospital of an Ayurvedic College with annual intake capacity of sixty-one to hundred students shall correspondingly increase keeping in view the total requirement of area as specified in regulation 5.
3. The requirement of attached toilet with Out-Patient Department is applicable for the colleges established after the 18th July, 2012.
4. For conditional permission, total constructed area of attached hospital of the college may vary within plus or minus twenty percent.as per the area specified in regulation 5.

SCHEDULE-II

[See regulation 3, regulation 4, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDA COLLEGE

Sl. No	Particulars	Built up area (in square meter)	
		Up to sixty students	Sixty-one to hundred students
(1)	(2)	(3)	(4)
	Total constructed area of college building	2,000	4000
(1)	Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principle's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee room, Clerks' room, Cash and Accounts section, Record room, Central store and separate toilets for gents and ladies.	150	300
(2)	Lecture Halls: There shall be at least five lecture halls, each having the area of not less than eighty square meter area for intake upto sixty seats and one hundred and sixty square meter area for intake from sixty-one to hundred seats, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable sitting arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor.	400	800
(3)	Seminar or Conference or Examination Hall: A large hall with sitting capacity for four hundred to five hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counseling etc. The hall shall have adequate electrical and sitting arrangement and audio-visual system facilities.	150	300
(4)	Central Library: A central library shall have seating capacity for at least fifty persons for up to sixty intake capacity and eighty persons for sixty-one to hundred intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading room for teachers, librarian's room, photocopier or video room computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand five hundred books of different titles of Ayurveda, modern medicine and allied sciences at the time of first admission of students. The number of books shall increase to five thousand before the admission of second and third batches of students and seven thousand five hundred before the admission of fourth batch of students. The college with existence for five years or more shall have ten thousand books.	100	200
(5)	Teaching Departments:	Total 1200 square meter and break up may be as follows:	Total 2400 square meter and break up maybe as follows:
	There shall be fourteen Teaching Departments each with rooms for teachers, a small departmental library, a small office, working accommodation for non-teaching staff and a museum or laboratory or dissection hall or tutorial room as per requirement of individual department. Department wise area requirement shall be as under:-		
	(i) Samhita and Siddhanta Department plus Departmental library cum tutorial room;	50	100

	(ii) Rachana Sharir Department with Dissection Hall having proper ventilation, a room for students with adequate lockers and wash basins, an embalming room with a storage tank or freezer for four dead bodies and Rachana Sharir museum with optional micro-anatomy laboratory;	125	250
	(iii) Kriya Sharir Department plus Kriya Sharir (Physiology) laboratory with optional facility for bio-chemistry testing;	75	150
	(iv) Dravyaguna Department plus Herbarium-cum Dravyaguna museum and Pharmacognosy and Pharmacology labs;	125	250
	(v) Rasa Shastra evam Bhaishajya Kalpana Department plus Rasa Shastra laboratory and museum; Drug Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	75	150
	(vi) Roganidan evam Vikriti Vigyan Department plus VikritiVigyan (Pathology) Laboratory;	75	150
	(vii) Swasthavritta and Yoga Department plus Yoga Hall either in college or in the hospital;	75	150
	(viii) Agada Tantra evam Vidhi Vaidyak Department plus museum;	50	100
	(ix) Kayachikitsa Department;	75	150
	(x) Panchakarma Department;	37	75
	(xi) Shalya Department plus museum cum tutorial room and Experimental Surgery (Yogya) Laboratory;	75	150
	(xii) Shalakya Department plus museum cum tutorial room;	75	150
	(xiii) Prasuti evam Stri Roga Department plus museum cum tutorial room; and	50	100
	(xiv) Kaumarbhritya (Balaroga) Department plus museum cum tutorial room. <i>*Note- Working tables of all the laboratories should be of hard stone or stainless steel and there should be arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.</i>	38	75
(6)	Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Ayurveda medicines such as Churna, Vati, Guggulu, Asava-arishta, Sneha Kalp, Kshar and Lavana, Lauh, Avaleha, Kupipakva Rasayana and like medicines, a raw drug store, and in-house drug identification. Quality Testing Lab of Pharmacy will also be used for teaching.	100	200
(7)	Common Rooms: Separate common rooms for boys and girls with adequate space and sitting arrangement shall be available.	50	100
(8)	Canteen: Canteen facility with sitting arrangement for about hundred persons shall be available in the college premises.	50	100

Note:

1. The above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty percent but the total area of an Ayurveda College shall be as per the area mentioned in regulation 5.
2. For conditional permission, total constructed area of the college may vary within plus or minus twenty per cent.as per the area mentioned in regulation 5.

SCHEDULE-III

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 10 and regulation 11]

ALLIED INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF AN AYURVEDIC COLLEGE

Sl. No. (1)	Particulars (2)	Area (in square meter)	
		Up to sixty students	Sixty-one to hundred students
		(3)	(4)
(1)	Herbal garden: A well-developed medicinal plant garden with two hundred fifty species of medicinal plants and a demonstration room of twenty-five to fifty square meter area shall exist with the college.	2500	4000

Note:

1. The above indicated area may vary within plus or minus twenty per cent. within the total area of Ayurvedic College as specified in regulation 4.
2. For conditional permission, minimum hundred and fifty species of medicinal plants shall be required.

SCHEDULE-IV

[See regulation 3, regulation 5, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

REQUIREMENT OF AN AYURVEDIC COLLEGE HOSPITAL STAFF

Sl.No (1)	Post (2)	Eligibility (3)
1.	Medical Superintendent	1. The incumbent to the post of Medical Superintendent will be with qualification not less than that of Professor. OR 2. Principal or Dean may function as ex-officio Medical Superintendent. However, if there is an existing post of Medical Superintendent, it shall continue to exist.
2.	Deputy Medical Superintendent	1. the qualification shall be BAMS and PG Degree in clinical subject or BAMS with 10 years of clinical experience. 2. Full time regular incumbent other than the teaching staff.
3.	Consultants	Teachers of clinical departments including Swasthavritta and Yoga Department
4.	Emergency Medical Officers	Two
5.	Resident Medical Officers or Surgical or Medical Officer (RMO or RSO or MO)	Five (One of Kayachikitsa, Two of Prasuti Striroga, One of Shalya Tantra and One of Kaumarbhrittya)
6.	Matron or Nursing Superintendent	One
7.	Staff Nurses for In Patient Department	One for every ten beds.
8.	Ward Boy or Ayah	One for every twenty beds.
9.	Pharmacists	Two
10.	Dresser	Two
11.	Store Keeper	One
12.	Office Staff (for registration, record maintenance, data entry etc.)	Two
13.	Dark-Room Attendant	One
	Modern Medical Staff	
14.	Medical Specialist	One part time or on contract
15.	Surgical Specialist	One part time or on contract
16.	Obstetrician and Gynecologist	One part time or on contract
17.	Pathologist	One part time or on contract
18.	Anaesthesiologist	One part time or on contract
19.	Ophthalmologist	One part time or on contract
20.	Pediatrician	One part time or on contract
21.	Radiologist	One (Postgraduate in Allopathic Radiology on contract or Vikiran Vigyan of Ayurvedic discipline) from teaching department of Shalya
22.	Dentist	One part time or on contract
23.	X-Ray Technician or Radiographer	One
24.	Physiotherapist	One part time or on contract

Sl.No (1)	Post (2)	Eligibility (3)
Staff for Panchakarma Therapy Section for Out-Patient and In-Patient Department		
25.	Panchakarma Specialists	Teachers of Panchakarma teaching department
26.	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (Ayurvedic)	One
27.	Panchakarma Nurse	One (in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7)
28.	Panchakarma Assistant	Two male and Two female
29.	Yoga teacher or expert	One (from Swasthavritta and Yoga Department)
Staff of Operation Theatre and Ksharsutra Therapy Section		
30.	<i>Shalya and Ksharsutra Therapy Specialists</i>	Teachers of Shalya department
31.	<i>Operation Theatre Attendant</i>	One
32.	<i>Nurse</i>	One (in addition to the nurses indicated at Sl.No. 7)
Labour Room		
33.	<i>Prasuti evum Stri Roga Specialists</i>	Teachers of Prasuti evam Striroga department
34.	<i>Midwife</i>	One
Clinical Laboratory		
35.	<i>Laboratory Technicians</i>	Two
36.	<i>Peon or Attendant</i>	One
Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory		
37.	<i>Pharmacy Manager or Superintendent</i>	Teacher of Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana
38.	<i>Peon or Attendant</i>	One
39.	<i>Workers</i>	Two (Need base more number)
40.	<i>Analytical Chemist (Part time)</i>	One (Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
41.	<i>Pharmacognosist (Part time)</i>	One (Lab. technician provided under non-teaching staff in the Deptt.)
	Total: i. For sixty bedded hospital ii. For hundred bedded hospital	Fifty-six excluding teachers of teaching departments as mentioned above Seventy excluding teachers of teaching departments as mentioned above

Note: -

- (1) For hospital with more than sixty beds, two incumbents each as Resident Medical Officers, Resident Surgical Officers, Assistant Matrons and Pharmacists shall be additionally required.
- (2) The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, sanitation, dietary and canteen, laundry and waste incineration and disposal services.
- (3) Essential duty staff and services shall be available round the clock.
- (4) Services of the non-technical staff like Peon, Attendant, Sweeper, Guards, Washerman, Gardener and Cook etc. may be obtained by outsourcing.
- (5) For conditional permission, minimum eighty per cent. of above hospital staff shall be required.

SCHEDULE-V

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TEACHING STAFF IN AN AYURVEDIC COLLEGE

S.No. (1)	Teaching Department (2)	Requirement of teaching staff						
		Upto 60 students (3)			From 61 to 100 students (4)			
		Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	
(1)	Samhita and Siddhanta	1	or 1	1 Ayurveda and 1 Sanskrit	1	1	1 Ayurved and 1 Sanskrit	
(2)	Rachana Sharir	1	or 1	1	1	1	1	
(3)	Kriya Sharir	1	or 1	1	1	1	1	
(4)	Dravyaguna	1	or 1	1	1	1	1	
(5)	Rasashastra evam Bhaisajya Kalpana	1	or 1	1	1	1	1	
(6)	Roga Nidan evam Vikriti vigyana	1	or 1	1	1	1	1	
(7)	Swasthavritta and Yoga	1	or 1	1	1	1	1	
(8)	Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka	1	or 1	1	1	1	1	
(9)	Prasuti evam Striroga	1	or 1	1	1	1	2	
(10)	Kayachikitsa	1	or 1	1	1	1	2	
(11)	Shalya	1	or 1	1	1	1	1	
(12)	Shalakya	1	or 1	1	1	1	1	
(13)	Kaumarbhritya (Balaroga)	1	or 1	1	1	1	1	
(14)	Panchakarma	1	or 1	1	1	1	1	
TOTAL		15			15			14
		30			45			

Note:

- Apart from above, one Yoga teacher in the Department of Swasthavritta and Yoga, One Bio- statistician to teach Research Methodology and Medical-statistics and eight Consultants of Modern Medicine as specified at the Schedule-IV (SL. No.14 to 22) shall be engaged for teaching on part time basis.
- The requirement of part time teachers shall be minimum any five as mentioned above in point i. for conditional permission to undertake admission for particular academic session.
- The deficiency of teachers for up to sixty intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement with availability of minimum one teacher in each of fourteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than twelve Professors or Readers distributed in minimum eleven Departments. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having up to sixty intake capacity shall have minimum twenty-seven total faculties, out of which minimum twelve Professors or Readers covering not less than eleven Departments.
- The deficiency of total teachers for sixty-one to hundred intake capacity shall not exceed more than ten per cent. of total requirement and deficiency of higher faculty shall not exceed more than twenty per cent. of total teachers with availability of minimum one Higher faculty and one Lecturer in each of fourteen Departments. The total number of Higher Faculty shall not be less than nineteen. This relaxation is for seeking conditional permission to undertake admission for particular academic session. For example- the college having sixty-one to hundred seats intake capacity shall have minimum forty total faculties, out of which minimum nineteen Professors or Readers covering all fourteen Departments.
- Wherever additional Professors or Readers are available in the department, the additional Professor shall be considered against the requirement of Reader or Lecturer and additional Reader shall be considered against the requirement of Lecturer. For example- in a college with intake capacity from sixty-one to hundred under

graduate seats, if there are three Professors or one Professor and two Readers or one Professor, one Reader and one Lecturer against the requirement of one Professor, one Reader and one Lecturer in the Department of Rachana Sharir, the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in this department.

SCHEDULE-VI

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 8, regulation 10 and regulation 11]

DETAILS OF TECHNICAL AND OTHER STAFF OF AN AYURVEDIC COLLEGE

S.No (1)	Department (2)	Post (3)	Requirement (4)
1.	Library	Librarian	One
		Assistant Librarian	One
		Library Attendant or Peon	One
2	College Office	Clerical staff for administrative and accounts services	Four
3.	Samhita and Siddhanta	Attendant	One
4.	Rachana Sharir	Laboratory Technician Museum Keeper Lifter	One One One
5.	Kriya Sharir	Laboratory Technician	One
6.	Dravyaguna	Laboratory Technician Museum Keeper	One One
7.	Rasa Shastra	Laboratory Technician Laboratory Assistant	One One
8.	Roga Nidan evam Vikriti Vigyan	Laboratory Technician	Two
9	Swasthavritta and Yoga	Museum Keeper Attendant	One One
10	Agad Tantra evam Vidhi Vaidyaka		
11	Prasuti Tantra and Stri Roga		
12.	Kayachikitsa		
13.	Shalya		
14.	Shalakya	Attendant	Two
15.	Panchkarma		
16.	Kaumarbhritya (Balroga)		
17.	Herbal Garden	Gardener Multipurpose worker	One Two
	Total		Twenty-five

(The sweeper, attendant, lifter, laboratory assistant, Data Entry Operator (DEO), multipurpose worker may be on contractual basis)

Note: For conditional permission, minimum eighty percent of above technical and other staff shall be required.

SCHEDULE-VII

[See regulation 3, regulation 6, regulation 7, regulation 10 and regulation 11]

(A). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHYSIOLOGY LABORATORY

S. No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Microscopes with oil immersion	Thirty	Fifty
2.	Westergen's pipette for ESR	Sixty	Hundred
3.	Haematocrit Tube	Sixty	Hundred
4.	Sahli's Haemoglobinometer	Sixty	Hundred
5.	Haemocytometer	Sixty	Hundred
6.	Electrocardiograph	One	One
7.	Stop watches	Sixty	Hundred
8.	Water Distillation still	One	One
9.	Balances	One	One
10.	Centrifuge with speed control	Three	Six
11.	Colorimeter (photoelectric)	Three	Six
12.	pH meter Electric	One	One
13.	pH comparator with disc	One	One
14.	Sphygmomanometer	Thirty	Fifty
15.	Stethoscopes	Sixty	Hundred
16.	Clinical Thermometer	Sixty	Hundred
17.	Knee Hammer	Sixty	Hundred
18.	Tuning forks	Sixty	Hundred
19.	Sterilizer	Five	Five
General			
20.	Refrigerator	One	One
21.	Newton's colour wheel in a batch	One	One
Miscellaneous			
22.	Cover slips, glassware, Microslides	Assorted	

(B). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR DISSECTION HALL

S. No.	Instruments and Equipments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies.	Assorted	
2.	Machines for bones and brain sectioning	Assorted	
3.	Dissection Sets	Fifteen Sets	Twenty-five sets
4.	Dissecting Table		
a)	Full size with steel top or marble top stainless	Four	Six
b)	Half size with steel top or marble top stainless	Eight	Ten
General			
5.	X-ray viewing box or panels	Three	Three
Miscellaneous			
6.	Bone cutter of the number $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ - fine pointed Chisel bone dissector	Assorted	
7.	Glass jars of different sizes	Assorted	
8.	Preservative Chemicals	Assorted	

(C). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR RASASHASTRA AND BHAISHAJYA KALPANA LABORATORY

S.No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Khalva Yantra-		
a)	Small	Ten	Twenty
b)	Medium	Ten	Twenty

c)	Porcelain	Ten	Twenty
d)	Taptakhalvyantra	Two	Four
2.	Pounding Apparatus (Ulukhala Yantra)	Ten	Twenty
3.	Putas (Different kind)	Five	Ten
4.	Moosha (Crucibles)	Thirty	Fifty
5.	Koshti with Blower	Two	Four
6.	Yantras		
a)	Dola Yantra	One	One
b)	Valuka Yantra	One	One
c)	Pithara Yantra	One	One
d)	Bhudhara Yantra etc.	One	One
7.	Distillation Apparatus and Arka Yantra	Three	Six
8.	Kupipakva Bhatti	One	One
General			
9.	Wet Grinder	One	One
10.	Mixi	One	One
11.	Juice Extractor	One	One
12.	Refrigerator	One	One
13.	Almiras and Racks for storage	Assorted	
14.	Balance (Different Capacities)		
a)	Physical	One	One
b)	Chemical	One	One
c)	Electronic Balance	One	One
15.	Heating Device-		
a)	Gas Stove	Assorted	
b)	Hot plate	Assorted	
c)	Chulla (Charcoal)	Assorted	
16.	Big Vessels and Containers-		
a)	Brass	Assorted	
b)	Copper	Assorted	
c)	Steel etc.	Assorted	
d)	Earthen Vessels-Pots	Assorted	
Miscellaneous			
17.	Jars(Porcelain) Fermentation Purpose	Assorted	
18.	Enamel Trays	Assorted	
19.	Spirit Lamp	Assorted	
20.	Pressure Cooker	Assorted	
21.	Measuring Equipments Different Size (Glass)	Assorted	
22.	Pyrometer	Assorted	
23.	Thermo meter	Assorted	
24.	Vessels		
a)	Frying Pan	Assorted	
b)	Steel Vessel	Assorted	
c)	Spatula	Assorted	
d)	Ladles and Spoons	Assorted	
e)	Knife	Assorted	
f)	Plates	Assorted	
g)	Samdamsa Yantra(Tongs)	Assorted	
25.	Sieves (Assorted Nos. and Size)	Assorted	

(D) DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR PHARMACOGNOSY LABORATORY [DRAVYAGUNA]

S.No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Field magnifier	One	One
2.	Compound microscope	One	One
3.	Dissecting Microscope	One	One
4.	Microscope	Fifteen	Twenty five
5.	Electronic balance	One	Two
Miscellaneous			
6.	Slides box with cover slips,		Assorted
7.	Blotting/filter papers		Assorted
8.	Dissection Box		Assorted
9.	Enamel Trays		Assorted
10.	Reagents-		
a.	Chloroform		Assorted
b.	Alcohol.		Assorted
c.	HCL		Assorted
d.	Sulphuric acid		Assorted
e.	Sodium, potassium hydroxide		Assorted
f.	Benedict solution		Assorted
g.	Sodium nitrate		Assorted
h.	Potassium nitrate		Assorted
i.	Citric acid		Assorted
j.	Iodine		Assorted
k.	Ethyl Alcohol		Assorted
l.	Potassium Iodide		Assorted
m.	Xylol/pure xylene (slide preparation)		Assorted

(E). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR ROGVIGYAN LABORATORY

S.No.	Equipment and Instruments	Up to Sixty intake capacity	Sixty-one to Hundred intake capacity
Essential			
1.	Binocular microscope	Fifteen	Twenty five
2.	Microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty five
3.	Monocular microscope with oil emersion lens20(e)	Fifteen	Twenty five
4.	X-ray view box	One	One
5.	Sahli's Square tube	Thirty	Fifty
6.	Hb pipette	Thirty	Fifty
7.	WBC Pipette	Thirty	Fifty
8.	Dropper	Thirty	Fifty
9.	Red cell pipette	Thirty	Fifty
10.	Improved Neubauer chamber	Thirty	Fifty
11.	Incubator	One	Two
12.	Wintrobe's tube	Thirty	Fifty
13.	Pasteur's pipette	Thirty	Fifty
14.	Centrifuge Graduated Machine	One	Two
15.	Westregrens pipette	Thirty	Fifty
16.	Westergrens's stand	Thirty	Fifty
17.	Urinometer	Thirty	Fifty

18.	Autoclave	One	One
19.	Ultraviolet lamp	One	One
20.	Cell counter (haemoautoanalyser)	One	One
21.	BP Apparatus	Thirty	Fifty
22.	Stethoscope	Thirty	Fifty
23.	Thermometer	Thirty	Fifty
24.	Tongue depressor	Thirty	Fifty
25.	Stop watch	Thirty	Fifty
General			
26.	Physical balance	One	One
27.	Hot air oven	One	One
28.	Bunsen burner	Thirty	Fifty
29.	Refrigerator	One	One
Miscellaneous			
30.	Sterile vessels/bottle to collect samples	Assorted	Assorted
31.	Torch	Assorted	Assorted
32.	Knee hammer	Assorted	Assorted
33.	Measuring Tape	Assorted	Assorted
34.	ENT examination set	Assorted	Assorted
35.	Reflectors(Mirrors)	Assorted	Assorted
36.	Weighing machine	One	One
37.	Tuning Forks	Assorted	Assorted
38.	Nasal speculum	Assorted	Assorted
39.	Laryngoscope	Assorted	Assorted
40.	Catheters	Assorted	Assorted
41.	Probes	Assorted	Assorted
42.	HBs Ag kit	Assorted	Assorted
43.	HIV kit - Tridot (method by T Mitra)	Assorted	Assorted
44.	CT and BT kit	Assorted	Assorted
45.	Renal profile, LET kit, Lipid profile, Blood Sugar kit	Assorted	Assorted
46.	Sterile disposable lancet/needle	Assorted	Assorted
47.	Glass rod	Assorted	Assorted
48.	Syringe needle destroyer	Assorted	Assorted
49.	Cover slip	Assorted	Assorted
50.	Cleaned slides	Assorted	Assorted
51.	Litmus paper	Assorted	Assorted
52.	pH indicator paper strips	Assorted	Assorted
53.	Test tube	Assorted	Assorted
54.	Separating funnels of various sizes	Assorted	Assorted
55.	Glass Jars with lid of different sizes	Assorted	Assorted
56.	Capillary Tubes	Assorted	Assorted
57.	Rubber sheat	Assorted	Assorted
58.	Magnifying lens	Assorted	Assorted
59.	Water bath	Assorted	Assorted
60.	Multi stix	Assorted	Assorted

(F). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR LABOUR ROOM

S.No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
Essential		
1.	Shadowless Lamp	One
2.	Suction Machine (Neonatal)	One
3.	Oxygen Cylinder and Mask	One
4.	FoetalToco Cardiograph	One
5.	Radiant Warmer	One
6.	Photo therapy Unit	One
7.	Weighing Machine (Paediatric)	One
8.	Patient trolley	Two
9.	Anaesthesia trolley	One
10.	Infantometer	One
11.	Vacuum extractor	One
12.	Foetal Doppler	One
13.	Low cavity forceps	Two
14.	Steriliser	Two
15.	Machintosh rubber sheet	Assorted
16.	Instruments for labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)	Assorted
17.	Baby tray	Two
18.	Nebuliser	One
19.	Foetoscope	Five
20.	Auto Clave	One
21.	Drums	Assorted
22.	Instrumental Trolley	Assorted
23.	OT tables and head Up and head Low facility	One
24.	Pulse Oximeter	One
25.	Resuscitation kit	One
26.	Boyle's apparatus	One
27.	Electrocautery	One
28.	MTP Suction Machine	One
29.	Anaesthesia Kit	One
30.	Blunt and Sharp Curettes	Ten
31.	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	Five
32.	Sims's Speculum	Five
33.	Cusco's Speculum	Five
34.	Anterior Vaginal Wall retractor	Five
35.	Uterine sound	Five
36.	Volsellum	Five
37.	MTP Suction Currate	Five
38.	Retractors abdominal (Doyne's etc.)	Five
39.	Sponge holding forceps	Five
40.	Green armytage forceps	Five
41.	Uterus holding forceps	Five
42.	Kocher's forceps	Five
43.	Artery forceps (Long, short, Mosquito)Each	Five
44.	Scissors- different sizes	Five
45.	Forceps obstetrics	Five
46.	Endotrachial tubes	Five

47.	Cord Cutting appliances	Five
48.	I.U.C.D. removing hook	Five
49.	Bladder Sound	Five
50.	B.P. apparatus	Two
Miscellaneous		
51.	HIV kit for emergency patients	Assorted
52.	Plain and Hole towels	Assorted
53.	Towel Clips	Assorted
54.	Catguts and Thread	Assorted
55.	Needles	Assorted
56.	Needle holders	Assorted

(G). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OPERATION THEATRE

S.No.	Equipment and Instruments	Required Quantity
I	Shalya:	
Essential		
1.	Spot light (Shadow less ceiling fitted)	One
2.	Needle holding Forceps (big- medium-small)	Assorted
3.	Dressing drums of Assorted size	Assorted
4.	Drum stand	Assorted
5.	IV Stand	Two
6.	Cheatles Forceps	Four
7.	Mosquito forceps	Four
8.	Scissors straight (Tailor)	Four
9.	Scissors curved of different sizes	Five each
10.	Stitch removal scissors	Five each
11.	Dissection forceps	Four
12.	Sinus Forceps	Four
13.	Probes - Assorted size	Five each
14.	Pointed scissors	Four
15.	Abdominal Retractors	Five
16.	Tissue Forceps	Five
17.	Bob Kock's Forceps	Five
18.	Kocher's Forceps	Five
19.	Urethral Dilators	Five each
20.	Metal Catheters	Five each
21.	Sponge holding forceps	Four
22.	Right Angle cholecystectomy Forceps	Four
23.	Stone holding forceps	Four
24.	Allies Forceps small	Four
25.	Allies Forceps Big	Four
26.	Artery Forceps small	Four
27.	Artery Forceps big	Four
28.	Artery Forceps Medium	Four
29.	Sigmoidoscope Rigid/flexible	One
30.	Barron Pile's Gun	Two
31.	Laryngoscope Pediatric/Adult	One
32.	Boyles Apparatus	One
33.	Multi-parameter Monitor	One
34.	Ambu Bag	Two
35.	Suction machine Electrical or Manual	One

36.	Skin grafting knife with handle	Assorted
37.	Surgical blades of different size	Assorted
38.	Self-Retaining Retractor	Assorted
39.	Bone cutter	Two
40.	Gigli Saw	Two
41.	Scoop	Assorted
42.	Periosteum elevator	Two
43.	Maggles Forceps	Assorted
44.	High Pressure Autoclave	One
45.	Nitrous Oxide Cylinder	One
46.	Hydrolic Operation Table	One
47.	Boyle's Apparatus	One
48.	Instrument Trolley	Assorted
49.	Endotracheal Tube	Assorted
50.	Proctoscope with or without illumination	Two
51.	Gabrial Syringe	One
52.	Strecher with trolley	Two
53.	Suction Machine	Assorted
General		
54.	Emergency power back up facility	Assorted
55.	Emergency light	Four
56.	Fire Extinguisher	Two
57.	BP Apparatus	Assorted
58.	Fumigator	One
59.	Refrigerator	One
60.	X-ray View Box (double)	Two
61.	Revolving Stool	Assorted
62.	Vertical BP Instrument	One
63.	Rubber catheters of Assorted size	Assorted
Miscellaneous		
64.	Corrugated rubber drain	Assorted
65.	Suturing Needle (straight/curved) of Assorted size	Assorted
66.	Surgical Thread	Assorted
67.	BP Handle of different size	Assorted
68.	Needle holder	Assorted
II Shalakyia: Ophthalmic Equipment or Instruments for Operative Surgery		
Essential		
69.	Ophthalmic Operation table with Head rest	One
70.	Sterilizing box/case with matts	Assorted
71.	Lens insertion Forceps	Assorted
72.	Keratome	Assorted
73.	Desmarres lid retractors	Assorted
74.	Cat-paw lacrimal retractor	Assorted
75.	Mueller lacrimal sac retractor	Assorted
76.	Dastoor iris retractor	Assorted
77.	Meyrhoefer Chalazioncurrete	Assorted
78.	Sinsky lens manipulating hook	Assorted
79.	IOL Manipulator	Assorted
80.	Foreign body spud	Assorted
81.	Lewis lens loop (vectis)	Assorted

82.	Cystotome and spoon	Assorted
83.	Mule Evisceration spoon	Assorted
84.	Iris repository (double-ended)	Assorted
85.	Jameson muscle hook	Assorted
86.	Wills cautery with copper ball-point	Assorted
87.	Langs lacrimal sac dissector	Assorted
88.	Kelly Glaucoma punch	Assorted
89.	Elevator (double ended)	Assorted
90.	Nasal speculum adult/child	Assorted
91.	Wilder punctum Dilator	Assorted
92.	Bowman lacrimal probes	Assorted
93.	Hartman mosquito forceps	Assorted
94.	Colibri forceps 1*2 teeth	Assorted
95.	Mc. person corneal forceps with tying platform	Assorted
96.	Dressing forceps, serrated	Assorted
97.	Moorfieldconjunctival forceps	Assorted
98.	Fixation forceps	Assorted
99.	Beer cilea (epilation) forceps	Assorted
100.	Arruga capsular forceps	Assorted
101.	Snellen Entropion clamp	Assorted
102.	Chalazion clamps	Assorted
103.	Vannas straight scissors	Assorted
104.	Barraquer needle holder	Assorted
105.	Air injection cannula	Assorted
106.	Healon aspirating cannula	Assorted
107.	AC washout cannula	Assorted
108.	Lacrimal cannula	Assorted
109.	Hydrodialysis cannula	Assorted
110.	J-loop cannula (Right/Left With silicon tubing)	Assorted
111.	Simcok direct I/A cannula with silicon tubing	Assorted
112.	Irrigating aspirating handle	Assorted
113.	Lens dialer	Assorted
114.	Superior Rectus forceps	Assorted
115.	Eye wash glasses (for Tarpana Karma)	Assorted
116.	Swimming Goggles (for Tarpana Karma)	Assorted
III	ENT-Surgical or Operative Procedural Instruments	
	Essential	
117.	Aural Syringe	Assorted
118.	Jobson's Aural Probe	Assorted
119.	Eustachian Catheter	Assorted
120.	Mastoid Retractor	Assorted
121.	Mastoid Gouge	Assorted
122.	Mallet	Assorted
123.	Nasal Foreign Body hook	Assorted
124.	Nasal packing forceps	Assorted
125.	Nasal Snare	Assorted
126.	Bayonet Shaped gouge	Assorted
127.	Walsham forceps	Assorted
128.	Laryngeal forceps	Assorted
129.	Tongue plate with throat suction	Assorted
130.	Tonsil holding forceps	Assorted
131.	Tonsillar suction	Assorted

132.	Adenoid curette with cage	Assorted
133.	Peritonsillarabcess draining forceps	Assorted
134.	Fuller's Tracheostomy Tube	Assorted
135.	Cheatel's Forceps	Assorted
Miscellaneous		
136.	Other consumable articles like gloves, syringes, bandages, sutras, etc.	Assorted

(H). DETAILS OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS REQUIRED FOR OUT PATIENT DEPARTMENT

S. No.	Name of Out Patient Department	Article required as per norms of CCIM	Required Quantity
1	Kayachikitsa		
Essential			
		X-Ray View Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Torch	Two
		Examination Table	One
		Thermometer	Four
		Tongue depressor	Five
		Weight and height measuring stand	One
		Measuring tape	One
		Knee Hammer	Two
Miscellaneous			
		Gloves	Assorted
2	Shalya		
Essential			
		X-Ray Viewing Box	One
		Stethoscope	Four
		Instruments for ano-rectal examination	Two sets
		Examination Table	One
		BP Apparatus	Two
		Thermometer	Four
		Torch	Assorted
		Cheatle forceps	Assorted
General			
		Minor OT	Assorted
Miscellaneous			
		Surgical Blades	Assorted
3	Shalakya		
Essential			
		Tuning forks	Assorted
		Ophthalmoscope/ fundoscope	Two
		Auroscope	Two
		Examination Table	One
		X-Ray Viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Thermometer	Four
		ENT kit	Assorted
		Torch	Two
		Bull's lamp	One
4	Prasuti and Stri Roga		
Essential			
		Weighing machine	One
		Sims's speculum	Two
		Thermometer	Four
		Cusco's speculum	Two
		Examination Table	One
		Lamp stand	One

		Torch	Two
		X-Ray Viewing Box	One
		BP Apparatus	Two
		Stethoscope	Four
		Measuring tape	Two
5	Bal Roga		
Essential			
		Scale	One
		Weighing machine	One
		Torch	Two
		X-Ray View Box	One
		Thermometer	Four
		BP Apparatus with Pediatric cuff	Two
		Stethoscope	Assorted
		Examination Table	Assorted
6	Panchkarma	As per Kayachikitsa	
7	Yoga Section (Swasth Rakhshan)	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)	Assorted
8	Emergency	Facilities available (Equipment, Instrument, Furniture etc)	Assorted

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secretary.

[Advt. III/4/Exty./290(124)]

Note- If any discrepancy is found between Hindi and English version of Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016. The English version will be treated as final.